

Competition for **H**ousing the **U**rban **P**oor - 2017



Category of Competition

- ✓ **All Municipal Corporation**
- ✓ **Urban Local Bodies with Population above 50,000**
- ✓ **Rest of Urban Local Bodies**
- ✓ **Divisional Level**
- ✓ **District Level**
- ✓ **Banks/HFIs**

Year 2017-18



Urban Development and Housing Department

Government of Madhya Pradesh

Table of Content

Table of Content	2
Executive Summary	3
Categories of Participation.....	3
Methodology	4
1st Phase of Competition	4
1 st Phase - Submission of Entry.....	5
1st Phase - Schedule for Submission of Entry	5
Evaluation Criteria for 1 st Four Award Categories	5
Evaluation Criteria (For Projects Approved under BLC Vertical) - (100 Marks).....	5
Evaluation Criteria (For Projects Approved under AHP Vertical) - (100 Marks)	8
Evaluation Criteria (For Demand Assessment and Demand Survey vs. Projects Approved) - (100 Marks).....	11
Evaluation Criteria for 5 th Award Category	12
Evaluation Criteria (For Allotment of Land for Projects Approved under AHP/BLC/ISSR Vertical) - (100 Marks)	12
Evaluation Criteria (For Approval of Beneficiary List for Projects Approved under AHP/BLC/ISSR Vertical) - (100 Marks)	12
Evaluation Criteria (For Allotment of Patta to Landless Families as per Madhya Pradesh Nagariya Kshetron Ke Bhumihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1984) - (100 Marks).....	12
Evaluation Criteria for 6 th Award Category	13
Evaluation Criteria (For Implementation of CLSS) - (100 Marks)	13
Evaluation Criteria (For Providing Home Loan to the EWS Beneficiary of AHP/ISSR Projects) - (100 Marks).....	13
2nd Phase of Competition.....	13



Executive Summary

Urban Development and Housing Department, GoMP is starting “**Competition for Housing the Urban Poor - 2017**” to promote a spirit of healthy competition among agencies involved in implementation of PMAY(U) and create awareness amongst all sections of society about the initiatives of State in Urban Poor Housing Sector.

The objective of the competition is to encourage better performing agencies involved in urban poor housing sector and is also intends to provide better housing to the needy citizens of the State. In addition, it will also encourage agencies involved in affordable housing sector to actively implement Housing Mission in a timely, effective and innovative manner.

Citizen participation shall be an important aspect of competition, social media and other traditional media channels can be used strategically by the agencies involved in order to educate citizens about the objectives of the housing mission, as well as to reinforce the importance of their participation in the competition, in order to ensure significantly higher levels of participation from all citizens.

Categories of Participation

The competition shall be divided in 6 categories for evaluation. The details of categories are as per mentioned below:

S. No.	Award Category	Awards
1	All Municipal Corporation <i>(Cities shall be evaluated for overall implementation of PMAY(U))</i>	1 st Prize - Rs. 1,00,000/- 2 nd Prize - Rs. 50,000/- 3 rd Prize - Rs. 25,000/-
2	Urban Local Bodies with Population above 50,000 <i>(Cities shall be evaluated for overall implementation of PMAY(U))</i>	1 st Prize - Rs. 1,00,000/- 2 nd Prize - Rs. 50,000/- 3 rd Prize - Rs. 25,000/-
3	Rest of Urban Local Bodies <i>(Cities shall be evaluated for overall implementation of PMAY(U))</i>	1 st Prize - Rs. 1,00,000/- 2 nd Prize - Rs. 50,000/- 3 rd Prize - Rs. 25,000/-
4	Divisional Level <i>(Division shall be evaluated on the basis of overall</i>	1 st Prize - Rs. 1,00,000/-



S. No.	Award Category	Awards
	<i>performance of the cities of concerned division for implementation of PMAY(U)</i>	
5	District Level <i>(District shall be evaluated on the basis of approval of beneficiary list, allotment of Patta (As per Order No. - भूमि हीन/एफ-1-6/2017/18-3/18143 Dated - 10/07/2017) and allotment of land projects approved under AHP, BLC and ISSR verticals of PMAY(U))</i>	1 st Prize - Rs. 1,00,000/- 2 nd Prize - Rs. 50,000/- 3 rd Prize - Rs. 25,000/-
6	Banks / HFIs <i>(Banks/HFIs shall be evaluation for Implementation of CLSS and lending Housing Loan to beneficiaries of AHP vertical of PMAY(U))</i>	1 st Prize - Rs. 1,00,000/- 2 nd Prize - Rs. 50,000/- 3 rd Prize - Rs. 25,000/-

Note: The prize money prize shall be equally divided among all team members.

Methodology

The competition shall be conducted in two Phase, in 1st Phase assessment of ULBs/other agencies shall be done on the basis of overall accomplishment of Demand Survey and implementation of PMAY(U). 2nd Phase shall be limited to ULBs, under 2nd phase ULBs shall be declared as **“All With Affordable Shelter/Home - AWAS City”** on providing secure, livable and affordable housing to every eligible citizen of their city as per Demand Survey.

1st Phase of Competition

The 1st Phase shall began from 1st December, 2017 and shall end on 31st March, 2018. In 1st Phase ranking of ULBs/other agencies shall be done by the Department on monthly basis as per information provided by the ULBs/Divisional Office and shall be circulated by 1st week on every month till 1st week of April, 2018. It will provide a chance to ULBs/other agencies to improve their ranking.



1st Phase - Submission of Entry

The final submission of entries can be done by the ULBs/other agencies to the concerned divisional office/Directorate, UAD, Bhopal on or before **15th April, 2018** as per enclosed Annexure-A. The submission is to be made in A4 size paper supported with photographs, reports and other IEC material. The soft copy of the submission may be emailed at pmayawards@mpurban.gov.in but hard copy submission is mandatory. All submissions should have a covering letter clearly stating the following:

- ✓ The name of the ULB/agency.
- ✓ Name of the team members for distribution of prize money along with bank account details.
- ✓ Detailed address for communication including email id and phone numbers.
- ✓ Self-certification that information provided in the submission are correct.

Note: There is no limitation to the number of documents that may be submitted for entry. However, a comprehensive entry will be appreciated.

1st Phase - Schedule for Submission of Entry

- ✓ Receipt of Entries: Completed entries should reach us by **15th April, 2018**.
- ✓ Evaluation of Entries: Entries will be evaluated by the Department and the decision of the Department shall be final in all such matters.
- ✓ Announcement & Presentation of Awards: The results of the competition will be hosted in Departmental website. The winners will be communicated the date for award distribution.

Evaluation Criteria for 1st Four Award Categories

The evaluation criteria for 1st four categories of award shall be as per mentioned below:

Evaluation Criteria (For Projects Approved under BLC Vertical) - (100 Marks)

The evaluation criteria for projects approved under BLC vertical shall be as per mentioned below:

- ✓ **Approval of Beneficiary List by Collector — 10%**
 - Approval of 0-10% Beneficiary List by Collector — 0%
 - Approval of 10-30% Beneficiary List by Collector — 20%
 - Approval of 30-50% Beneficiary List by Collector — 40%



- *Approval of 50-70% Beneficiary List by Collector — 60%*
- *Approval of 70-90% Beneficiary List by Collector — 80%*
- *Approval of 90-100% Beneficiary List by Collector — 100%*
- ✓ **Fund Released to Beneficiary — 20%**
 - *Fund Released to 0-10% Beneficiary — 0%*
 - *Fund Released to 10-30% Beneficiary — 20%*
 - *Fund Released to 30-50% Beneficiary — 40%*
 - *Fund Released to 50-70% Beneficiary — 60%*
 - *Fund Released to 70-90% Beneficiary — 80%*
 - *Fund Released to 90-100% Beneficiary — 100%*
- ✓ **Construction of DUs — 40%**
 - **Completed DUs — 15%**
 - *Construction completed for 0-10% DUs — 0%*
 - *Construction completed for 10-30% DUs — 20%*
 - *Construction completed for 30-50% DUs — 40%*
 - *Construction completed for 50-70% DUs — 60%*
 - *Construction completed for 70-90% DUs — 80%*
 - *Construction completed for 90-100% DUs — 100%*
 - **DUs at Roof Level — 10%**
 - *0-10% DUs at Roof Level — 0%*
 - *10-30% DUs at Roof Level — 20%*
 - *30-50% DUs at Roof Level — 40%*
 - *50-70% DUs at Roof Level — 60%*
 - *70-90% DUs at Roof Level — 80%*
 - *90-100% DUs at Roof Level — 100%*
 - **DUs at Lintel Level — 10%**
 - *0-10% DUs at Lintel Level — 0%*
 - *10-30% DUs at Lintel Level — 20%*
 - *30-50% DUs at Lintel Level — 40%*
 - *50-70% DUs at Lintel Level — 60%*
 - *70-90% DUs at Lintel Level — 80%*
 - *90-100% DUs at Lintel Level — 100%*
 - **DUs at Foundation Level — 5%**
 - *0-10% DUs at Foundation Level — 0%*



- 10-30% DUs at Foundation Level — 20%
 - 30-50% DUs at Foundation Level — 40%
 - 50-70% DUs at Foundation Level — 60%
 - 70-90% DUs at Foundation Level — 80%
 - 90-100% DUs at Foundation Level — 100%
- ✓ **Geo-tagging of Houses — 20%**
- **Geo-tagged Houses at Completion Level — 6%**
 - 0-10% Houses Geo-tagged at Completion Level — 0%
 - 10-30% Houses Geo-tagged at Completion Level — 20%
 - 30-50% Houses Geo-tagged at Completion Level — 40%
 - 50-70% Houses Geo-tagged at Completion Level — 60%
 - 70-90% Houses Geo-tagged at Completion Level — 80%
 - 90-100% Houses Geo-tagged at Completion Level — 100%
 - **Geo-tagged Houses at Roof Level — 4%**
 - 0-10% Houses Geo-tagged at Roof Level — 0%
 - 10-30% Houses Geo-tagged at Roof Level — 20%
 - 30-50% Houses Geo-tagged at Roof Level — 40%
 - 50-70% Houses Geo-tagged at Roof Level — 60%
 - 70-90% Houses Geo-tagged at Roof Level — 80%
 - 90-100% Houses Geo-tagged at Roof Level — 100%
 - **Geo-tagged Houses at Lintel Level — 4%**
 - 0-10% Houses Geo-tagged at Lintel Level — 0%
 - 10-30% Houses Geo-tagged at Lintel Level — 20%
 - 30-50% Houses Geo-tagged at Lintel Level — 40%
 - 50-70% Houses Geo-tagged at Lintel Level — 60%
 - 70-90% Houses Geo-tagged at Lintel Level — 80%
 - 90-100% Houses Geo-tagged at Lintel Level — 100%
 - **Geo-tagged Houses at Foundation Level — 4%**
 - 0-10% Houses Geo-tagged at Foundation Level — 0%
 - 10-30% Houses Geo-tagged at Foundation Level — 20%
 - 30-50% Houses Geo-tagged at Foundation Level — 40%
 - 50-70% Houses Geo-tagged at Foundation Level — 60%
 - 70-90% Houses Geo-tagged at Foundation Level — 80%
 - 90-100% Houses Geo-tagged at Foundation Level — 100%



- **Geo-tagged Houses at Non-Started Level — 2%**
 - 0-10% Houses Geo-tagged at Non-Starter Level — 0%
 - 10-30% Houses Geo-tagged at Non-Starter Level — 20%
 - 30-50% Houses Geo-tagged at Non-Starter Level — 40%
 - 50-70% Houses Geo-tagged at Non-Starter Level — 60%
 - 70-90% Houses Geo-tagged at Non-Starter Level — 80%
 - 90-100% Houses Geo-tagged at Non-Starter Level — 100%
- ✓ **Citizen Participation, IEC Activity and Innovation — 10%**
 - Name Plate of DU — 2%
 - **IEC Activity — 6%**
 - Workshop — 2%
 - Brochure and Pamphlet — 2%
 - Social Media Campaign — 2%
 - Any other Innovative Approach Adopted by the City — 2%

Evaluation Criteria (For Projects Approved under AHP Vertical) - (100 Marks)

- ✓ **Land Allotment — 10%**
 - Allotment of 0-10% Land w.r.t. Total Requirement — 0%
 - Allotment of 10-30% Land w.r.t. Total Requirement — 20%
 - Allotment of 30-50% Land w.r.t. Total Requirement — 40%
 - Allotment of 50-70% Land w.r.t. Total Requirement — 60%
 - Allotment of 70-90% Land w.r.t. Total Requirement — 80%
 - Allotment of 90-100% Land w.r.t. Total Requirement — 100%
- ✓ **Tender Awarded — 10%**
 - Tender Awarded for 0-10% of Project Cost — 0%
 - Tender Awarded for 10-30% of Project Cost — 20%
 - Tender Awarded for 30-50% of Project Cost — 40%
 - Tender Awarded for 50-70% of Project Cost — 60%
 - Tender Awarded for 70-90% of Project Cost — 80%
 - Tender Awarded for 90-100% of Project Cost — 100%
- ✓ **Construction of DUs — 15%**
 - **Completed DUs — 4%**
 - Construction completed for 0-10% DUs — 0%
 - Construction completed for 10-30% DUs — 20%



- *Construction completed for 30-50% DUs — 40%*
- *Construction completed for 50-70% DUs — 60%*
- *Construction completed for 70-90% DUs — 80%*
- *Construction completed for 90-100% DUs — 100%*
- ***DUs at Roof Level — 4%***
 - *0-10% DUs at Roof Level — 0%*
 - *10-30% DUs at Roof Level — 20%*
 - *30-50% DUs at Roof Level — 40%*
 - *50-70% DUs at Roof Level — 60%*
 - *70-90% DUs at Roof Level — 80%*
 - *90-100% DUs at Roof Level — 100%*
- ***DUs at Lintel Level — 4%***
 - *0-10% DUs at Lintel Level — 0%*
 - *10-30% DUs at Lintel Level — 20%*
 - *30-50% DUs at Lintel Level — 40%*
 - *50-70% DUs at Lintel Level — 60%*
 - *70-90% DUs at Lintel Level — 80%*
 - *90-100% DUs at Lintel Level — 100%*
- ***DUs at Foundation Level — 3%***
 - *0-10% DUs at Foundation Level — 0%*
 - *10-30% DUs at Foundation Level — 20%*
 - *30-50% DUs at Foundation Level — 40%*
 - *50-70% DUs at Foundation Level — 60%*
 - *70-90% DUs at Foundation Level — 80%*
 - *90-100% DUs at Foundation Level — 100%*
- ✓ ***Pre-Allotment of EWS DUs to Beneficiary — 10%***
 - *EWS DUs allotted to 0-10% Beneficiary — 0%*
 - *EWS DUs allotted to 10-30% Beneficiary — 20%*
 - *EWS DUs allotted to 30-50% Beneficiary — 40%*
 - *EWS DUs allotted to 50-70% Beneficiary — 60%*
 - *EWS DUs allotted to 70-90% Beneficiary — 80%*
 - *EWS DUs allotted to 90-100% Beneficiary — 100%*
- ✓ ***Home Loan Sanctioned for EWS Beneficiary Share — 10%***
 - *Home Loan Sanctioned for 0-10% EWS Beneficiary — 0%*



- *Home Loan Sanctioned for 10-30% EWS Beneficiary — 20%*
- *Home Loan Sanctioned for 30-50% EWS Beneficiary — 40%*
- *Home Loan Sanctioned for 50-70% EWS Beneficiary — 60%*
- *Home Loan Sanctioned for 70-90% EWS Beneficiary — 80%*
- *Home Loan Sanctioned for 90-100% EWS Beneficiary — 100%*
- ✓ **Attachment/Linking of EWS Beneficiaries with DPR in PMAY MIS — 5%**
 - *0-10% EWS Beneficiaries attached with DPR in PMAY MIS — 0%*
 - *10-30% EWS Beneficiaries attached with DPR in PMAY MIS — 20%*
 - *30-50% EWS Beneficiaries attached with DPR in PMAY MIS — 40%*
 - *50-70% EWS Beneficiaries attached with DPR in PMAY MIS — 60%*
 - *70-90% EWS Beneficiaries attached with DPR in PMAY MIS — 80%*
 - *90-100% EWS Beneficiaries attached with DPR in PMAY MIS — 100%*
- ✓ **Booking of LIG/MIG/Commercial Units — 10%**
 - *Booking of 0-10% LIG/MIG/Commercial Units — 0%*
 - *Booking of 10-30% LIG/MIG/Commercial Units — 20%*
 - *Booking of 30-50% LIG/MIG/Commercial Units — 40%*
 - *Booking of 50-70% LIG/MIG/Commercial Units — 60%*
 - *Booking of 70-90% LIG/MIG/Commercial Units — 80%*
 - *Booking of 90-100% LIG/MIG/Commercial Units — 100%*
- ✓ **Home Loan Sanctioned for LIG/MIG under CLSS — 5%**
 - *Home Loan Sanctioned for 0-10% LIG/MIG Units under CLSS — 0%*
 - *Home Loan Sanctioned for 10-30% LIG/MIG Units under CLSS — 20%*
 - *Home Loan Sanctioned for 30-50% LIG/MIG Units under CLSS — 40%*
 - *Home Loan Sanctioned for 50-70% LIG/MIG Units under CLSS — 60%*
 - *Home Loan Sanctioned for 70-90% LIG/MIG Units under CLSS — 80%*
 - *Home Loan Sanctioned for 90-100% LIG/MIG Units under CLSS — 100%*
- ✓ **%age of Funds Collected by ULB against Total Funds to be collected by ULB (excluding GoI/State Grant) — 15%**
 - *0-10% Funds Collected by ULB excluding Government Grant — 0%*
 - *10-30% Funds Collected by ULB excluding Government Grant — 20%*
 - *30-50% Funds Collected by ULB excluding Government Grant — 40%*
 - *50-70% Funds Collected by ULB excluding Government Grant — 60%*
 - *70-90% Funds Collected by ULB excluding Government Grant — 80%*
 - *90-100% Funds Collected by ULB excluding Government Grant — 100%*



✓ **Citizen Participation, IEC Activity and Innovation — 10%**

- **IEC Activity — 7%**
 - *Brochure/Pamphlet — 4%*
 - *Hoarding/Billboard — 2%*
 - *Social Media Campaign — 1%*
- *Any other Innovative Approach Adopted by the City — 3%*

Evaluation Criteria (For Demand Assessment and Demand Survey vs. Projects Approved) - (100 Marks)

The evaluation criteria for overall assessment of Demand as on 31st October, 2017 and projects approved with respected to the demand shall be as per mentioned below:

- ✓ **Finalization/Revision of Demand Survey as on 31st October, 2017 — 5%**
- ✓ **Approval of Housing For All Plan of Action (HFAPoA) — 15%**
- ✓ **Identification of landless families with respect to Order No. - 544 44/ 15-1-6/2017/18-3/18143 Dated - 10/07/2017 for distribution of Patta — 5%**
- ✓ **Distribution of Patta as per Madhya Pradesh Nagariya Kshetron Ke Bhumihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1984 to the identified Landless families — 15%**
 - *0-10% Patta distributed w.r.t to identified Landless families — 0%*
 - *10-30% Patta distributed w.r.t to identified Landless families — 20%*
 - *30-50% Patta distributed w.r.t to identified Landless families — 40%*
 - *50-70% Patta distributed w.r.t to identified Landless families — 60%*
 - *70-90% Patta distributed w.r.t to identified Landless families — 80%*
 - *90-100% Patta distributed w.r.t to identified Landless families — 100%*
- ✓ **Entry of Demand Survey in PMAY MIS — 20%**
 - *0-10% Entry in PMAY MIS as compared to Demand Survey — 0%*
 - *10-30% Entry in PMAY MIS as compared to Demand Survey — 20%*
 - *30-50% Entry in PMAY MIS as compared to Demand Survey — 40%*
 - *50-70% Entry in PMAY MIS as compared to Demand Survey — 60%*
 - *70-90% Entry in PMAY MIS as compared to Demand Survey — 80%*
 - *90-100% Entry in PMAY MIS as compared to Demand Survey — 100%*
- ✓ **Approval of Projects vs Demand Survey — 40%**
 - *Approval of 0-10% Projects as compared to Demand Survey — 0%*
 - *Approval of 10-30% Projects as compared to Demand Survey — 20%*



- Approval of 30-50% Projects as compared to Demand Survey — 40%
- Approval of 50-70% Projects as compared to Demand Survey — 60%
- Approval of 70-90% Projects as compared to Demand Survey — 80%
- Approval of 90-100% Projects as compared to Demand Survey — 100%

Evaluation Criteria for 5th Award Category

The evaluation criteria for 5th category of award shall be as per mentioned below:

Evaluation Criteria (For Allotment of Land for Projects Approved under AHP/BLC/ISSR Vertical) - (100 Marks)

✓ Land Allotment (As per enclosed Annexure-D)— 100%

- Allotment of 0-10% Land w.r.t. Total Requirement — 0%
- Allotment of 10-30% Land w.r.t. Total Requirement — 20%
- Allotment of 30-50% Land w.r.t. Total Requirement — 40%
- Allotment of 50-70% Land w.r.t. Total Requirement — 60%
- Allotment of 70-90% Land w.r.t. Total Requirement — 80%
- Allotment of 90-100% Land w.r.t. Total Requirement — 100%

Evaluation Criteria (For Approval of Beneficiary List for Projects Approved under AHP/BLC/ISSR Vertical) - (100 Marks)

✓ Approval of Beneficiary List for projects approved under AHP/BLC/ISSR Verticals — 100%

- Approval of 0-10% Beneficiary List — 0%
- Approval of 10-30% Beneficiary List — 20%
- Approval of 30-50% Beneficiary List — 40%
- Approval of 50-70% Beneficiary List — 60%
- Approval of 70-90% Beneficiary List — 80%
- Approval of 90-100% Beneficiary List — 100%

Evaluation Criteria (For Allotment of Patta to Landless Families as per Madhya Pradesh Nagariya Kshetron Ke Bhumihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1984) - (100 Marks)

- ✓ Distribution of Patta as per Order No. - भूमि हीन/एफ-1-6/2017/18-3/18143 Dated - 10/07/2017 (Enclosed as Annexure-B) to the identified Landless families — 100%



- 0-10% Patta distributed w.r.t to identified Landless families — 0%
- 10-30% Patta distributed w.r.t to identified Landless families — 20%
- 30-50% Patta distributed w.r.t to identified Landless families — 40%
- 50-70% Patta distributed w.r.t to identified Landless families — 60%
- 70-90% Patta distributed w.r.t to identified Landless families — 80%
- 90-100% Patta distributed w.r.t to identified Landless families — 100%

Evaluation Criteria for 6th Award Category

The evaluation criteria for 6th category of award shall be as per mentioned below:

Evaluation Criteria (For Implementation of CLSS) - (100 Marks)

✓ **Approval Home Loan under CLSS — 100%**

- Bank/HFI with maximum number of approved home loan (including LIG/MIG) will get 100 marks. For other Banks/HFIs evaluation shall be done as per below mentioned formula:

$A (hl) \times 100 / MAX$, where

$A (hl)$ stands for approved home loans by Bank/HFI

MAX stands for maximum Home Loan sanctioned by any one Bank/HFI.

Evaluation Criteria (For Providing Home Loan to the EWS Beneficiary of AHP/ISSR Projects) - (100 Marks)

✓ **Approval Home Loan for EWS Beneficiaries as per instruction issued vide Letter # 8714 dated 4th July, 2017 (Enclosed as Annexure-C) — 100%**

- Bank/HFI with maximum number of approved EWS home loan will get 100 marks. For other Banks/HFIs evaluation shall be done as per below mentioned formula:

$A (hl) \times 100 / MAX$, where

$A (hl)$ stands for approved home loans by Bank/HFI

MAX stands for maximum Home Loan sanctioned by any one Bank/HFI.

2nd Phase of Competition

In second phase the cities which will complete the approval of total demand and shall be declared as “**All With Affordable Shelter/Home - AWAS City**” on providing secure,



livable and affordable housing to every eligible citizen of their city as per Demand Survey. The cities needs to perform below mentioned activities to declare as AWAS City:

- Issue a public notice by means of newspaper for the eligible citizens to avail benefit of Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban).
- Resolve Claims/objections submitted by the citizens.
- Finally pass a resolution in MIC/PIC that all the needy citizens of the city are provided an affordable Shelter/Home and no eligible beneficiary is left to avail benefit of PMAY(U) in their city.

Note:

- ✓ *The evaluation criteria are subjected to change at the discretion of the Department. If case, any changes shall be made to the evaluation criteria it will be issued on Departmental Website (www.mpurban.gov.in).*
- ✓ *The evaluation of projects approved under BLC/AHP shall be done considering all the approved projects of a vertical as one project instead of evaluation each project. For eg. if 2 projects are approved under BLC vertical than the evaluation of both the projects shall be done as one project.*
- ✓ *However, evaluation for the 1st four award categories shall be limited to only the applicable criteria and average of all the criteria shall be used for evaluation eg.*
 - *In case no project is approved under AHP vertical than evaluation of that ULB shall be done only for other 2 criteria or*
 - *In case no component for sale of LIG/MIG/Commercial Units is included in AHP project than evaluation shall be done only on other criteria for AHP project.*



Annexure-A
Format for
Submission of
Entry

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) पुरस्कार वर्ष 2017-18
आवेदन का प्रारूप-1 (समस्त पुरस्कार की श्रेणी के लिये प्रस्तुत करें)

- 1- पुरस्कार किस श्रेणी हेतु है (कृपया ✓ करें)
- ✓ नगर निगम
 - ✓ 50000 से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय निकाय
 - ✓ अन्य नगरीय निकाय
 - ✓ जिला स्तरीय पुरस्कार
 - ✓ संभागीय स्तरीय पुरस्कार
 - ✓ Bank/HFIs स्तरीय पुरस्कार

2- आवेदक का विवरण:-

- i. अधिकारी का नाम / पदनाम / कार्यालय एवं विभाग (हिन्दी एवं अंग्रेजी में)
- ii. पूर्ण पता / टेलीफोन नम्बर आदि (हिन्दी एवं अंग्रेजी में)
- iii. बैंक खाते का विवरण (हिन्दी एवं अंग्रेजी में)

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय एवं विभाग	टेलीफोन नम्बर	पता	बैंक खाते का विवरण			
						बैंक का नाम	बैंक शाखा	फस्क कोड	खाता क्रमांक
1									
2									
3									
4									
5									

अधिकारी / कर्मचारी के हस्ताक्षर

पदनाम

दिनांक



प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) पुरस्कार वर्ष 2017-18
आवेदन का प्रारूप-2 (पुरस्कार श्रेणी एक से चार के लिये प्रस्तुत करें)

1- उत्कृष्ट कार्य पर टीप

2- मांग सर्वेक्षण

2.1- 31 अक्टूबर 2017 की स्थिति में मांग सर्वेक्षण — 5%

शहर का कुल मांग सर्वेक्षण (संख्या) -

2.2- सबके लिए आवास कार्ययोजना (HFAPoA) का अनुमोदन प्राप्त (हाँ/नहीं) — 15%

हाँ/नहीं

यदि हाँ, तो निम्नानुसार घटक-वार जानकारी प्रस्तुत करें

स्व स्थाने पुनर्विकास (ISSR)	क्रेडिट से जुड़ी सब्सिडी के माध्यम से किफायती आवास (CLSS)	भागीदारी में किफायती आवास (AHP)	लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए सब्सिडी (BLC)	कुल योग



2.3- पट्टा के वितरण हेतु चिन्हित भूमि-हीन परिवारों की संख्या — 5%

कुल चिन्हित भूमि-हीन परिवारों की संख्या -

2.4- चिन्हित भूमि-हीन परिवारों को वितरित पट्टों की संख्या — 15%

भूमि-हीन परिवारों को वितरित पट्टों की संख्या -

2.5- पी.एम.ए.आई. एम.आई.एस. में डिमांड सर्वे की प्रविष्टि — 20%

विवरण	स्व स्थाने पुनर्विकास (ISSR)	क्रेडिट से जुड़ी सब्सिडी के माध्यम से किफायती आवास (CLSS)	भागीदारी में किफायती आवास (AHP)	लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए सब्सिडी (BLC)	कुल योग
मांग सर्वेक्षण अनुसार चिन्हित हितग्राहियों की संख्या (बिंदु क्र. 2.2 अनुसार)					
PMAY MIS में चिन्हित हितग्राहियों की प्रविष्टि की संख्या					

2.6- मांग सर्वेक्षण की तुलना में अनुमोदित परियोजनाओं — 40%

विवरण	स्व स्थाने पुनर्विकास (ISSR)	क्रेडिट से जुड़ी सब्सिडी के माध्यम से किफायती आवास (CLSS)	भागीदारी में किफायती आवास (AHP)	लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए सब्सिडी (BLC)	कुल योग
मांग सर्वेक्षण अनुसार चिन्हित हितग्राहियों की संख्या (बिंदु क्र. 2.2 अनुसार)					



विवरण	स्व स्थाने पुनर्विकास (ISSR)	क्रेडिट से जुड़ी सब्सिडी के माध्यम से किफायती आवास (CLSS)	भागीदारी में किफायती आवास (AHP)	लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए सब्सिडी (BLC)	कुल योग
अनुमोदित परियोजनाओं में EWS हितग्राहियों की संख्या					

3- लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए सब्सिडी (BLC) घटक अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की स्थिति

3.1- BLC घटक अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के हितग्राहियों की सूची का कलेक्टर द्वारा अनुमोदन — 10%

BLC घटक अंतर्गत स्वीकृत EWS आवासों की संख्या	BLC घटक अंतर्गत स्वीकृत EWS आवासों की संख्या के विरुद्ध कलेक्टर द्वारा अनुमोदन हितग्राहियों की संख्या	कलेक्टर द्वारा अनुमोदित हितग्राहियों की संख्या का प्रतिशत

3.2- BLC घटक अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के हितग्राहियों को जारी राशि — 20%

BLC घटक अंतर्गत स्वीकृत EWS आवासों की संख्या	BLC घटक अंतर्गत स्वीकृत EWS आवासों की संख्या के विरुद्ध हितग्राहियों की संख्या जिनको राशि जारी की गयी है	हितग्राहियों की संख्या का प्रतिशत जिनको राशि जारी की गयी है

3.3- BLC घटक अंतर्गत स्वीकृत आवासों के निर्माण की स्थिति — 40%

विवरण	आवासों की संख्या
BLC घटक अंतर्गत स्वीकृत EWS आवासों की संख्या	
पूर्ण आवासों की संख्या	
छत स्तर पर आवासों की संख्या	
लिटल स्तर पर आवासों की संख्या	
नीव स्तर पर आवासों की संख्या	



विवरण	आवासों की संख्या
प्रारंभ नहीं हुई आवासों की संख्या	

3.4- BLC घटक अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के आवासों की Geo-tagging की स्थिति — 20%

विवरण	आवासों की संख्या
BLC घटक अंतर्गत स्वीकृत EWS आवासों की संख्या	
पूर्ण आवासों के Geo-tagging की संख्या	
छत स्तर पर आवासों के Geo-tagging की संख्या	
लिटल स्तर पर आवासों के Geo-tagging की संख्या	
नीव स्तर पर आवासों के Geo-tagging की संख्या	
प्रारंभ नहीं हुई आवासों के Geo-tagging की संख्या	

3.5- BLC घटक अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं में नागरिक भागीदारी, सूचना शिक्षा संचार (आई.ई.सी.) गतिविधि एवं नवाचार — 10%

नागरिक भागीदारी	-
आई.ई.सी. गतिविधि	-
नवाचार	-

4- भागीदारी में किफायती आवास (AHP) घटक अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की स्थिति

4.1- AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के भूमि आवंटन की स्थिति — 10%

AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं हेतु कुल भूमि की आवश्यकता (हेक्टेयर में)	AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं हेतु भूमि की आवश्यकता के विरुद्ध कलेक्टर द्वारा आवंटन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं में आवंटन हेतु शेष भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)



4.2- AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की निविदा की स्थिति — 10%

AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की कुल लागत (राशि रु करोड़ में)	AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की कुल लागत के विरुद्ध निविदाकार को कार्य-आदेश जारी की गई निविदाओं की लागत (राशि रु करोड़ में)	AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं में कार्य-आदेश जारी करने हेतु शेष निविदाओं की लागत (राशि रु करोड़ में)

4.3- AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत आवासों के निर्माण की स्थिति — 15%

विवरण	आवासों की संख्या
ईडब्ल्यूएस आवासों की जानकारी	
AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत EWS आवासों की संख्या	
पूर्ण आवासों की संख्या	
छत स्तर पर आवासों की संख्या	
लिटल स्तर पर आवासों की संख्या	
नीव स्तर पर आवासों की संख्या	
प्रारंभ नहीं हुई आवासों की संख्या	
एलआईजी आवासों की जानकारी	
AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत LIG आवासों की संख्या	
पूर्ण आवासों की संख्या	
छत स्तर पर आवासों की संख्या	
लिटल स्तर पर आवासों की संख्या	
नीव स्तर पर आवासों की संख्या	
प्रारंभ नहीं हुई आवासों की संख्या	
एमआईजी आवासों की जानकारी	



विवरण	आवासों की संख्या
AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत MIG आवासों की संख्या	
पूर्ण आवासों की संख्या	
छत स्तर पर आवासों की संख्या	
लिटल स्तर पर आवासों की संख्या	
नीव स्तर पर आवासों की संख्या	
प्रारंभ नहीं हुई आवासों की संख्या	

4.4- AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत ईडब्ल्यूएस आवासों के पूर्व-आबंटन की स्थिति — 10%

AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत EWS आवासों की संख्या	AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत EWS आवासों की संख्या के विरुद्ध आवंटित आवासों की संख्या	आबंटन हेतु शेष आवासों की संख्या

4.5- AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत ईडब्ल्यूएस आवासों के गृह-लोन स्वीकृत की स्थिति — 10%

AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत EWS आवासों की संख्या	AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत EWS आवासों की संख्या के विरुद्ध आवासों की संख्या जिनका गृह-लोन स्वीकृत किया गया है	गृह-लोन स्वीकृति हेतु शेष आवासों की संख्या

4.6- AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत ईडब्ल्यूएस आवासों को PMAY MIS में योजना के साथ जोड़ने (Attachment of Beneficiaries with DPR in PMAY MIS) की स्थिति — 5%

AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत EWS आवासों की संख्या	AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत EWS आवासों की संख्या के विरुद्ध PMAY MIS में योजना के साथ जोड़ा (Beneficiaries attached with DPR in PMAY MIS) गये हितग्राहियों की संख्या	PMAY MIS में योजना से जोड़ने हेतु शेष हितग्राहियों की संख्या



4.7- AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत LIG/MIG/HIG/Commercial इकाइयों के बुकिंग की स्थिति — 10%

AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत इकाइयों इकाई की श्रेणी	AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत LIG/MIG/HIG/Commercial इकाइयों की संख्या	AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत LIG/MIG/HIG/Commercial इकाइयों की संख्या के विरुद्ध बुक की गई इकाइयों की संख्या	बुकिंग हेतु शेष LIG/MIG/HIG/Commercial इकाइयों की संख्या
LIG			
MIG			
HIG			
Commercial Unit			

4.8- AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत LIG/MIG आवासों की योजना के CLSS घटक अंतर्गत गृह-लोन स्वीकृत की स्थिति — 5%

AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत इकाइयों इकाई की श्रेणी	AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत LIG/MIG आवासों की संख्या	AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत LIG/MIG आवासों की संख्या के विरुद्ध, आवासों की संख्या जिनका गृह-ऋण योजना के CLSS घटक के माध्यम से स्वीकृत किया गया है	LIG/MIG आवासों की संख्या जिनका गृह-ऋण योजना के CLSS घटक के माध्यम से स्वीकृत होना शेष है
LIG			
MIG			

4.9- AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं में निकाय द्वारा एकत्र की गई राशि की स्थिति (भारत सरकार / राज्य का अनुदान को छोड़कर)— 15%

AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं में निकाय द्वारा राशि की व्यवस्था करना के शीर्षक (भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान को छोड़कर)	AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं में निकाय को प्राप्त राशि (राशि रु करोड़ में)	AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं में प्राप्त हेतु शेष राशि (राशि रु करोड़ में)
प्राप्त EWS हितग्राही-अंश की राशि (गृह-ऋण के साथ)		
LIG/MIG/HIG/Commercial इकाइयों की बुकिंग / विक्रय से प्राप्त राशि (ऋण के साथ)		
क्रियान्वयन अवधि के लिए Bridge-Loan से प्राप्त राशि		
कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) के माध्यम से से प्राप्त राशि		



AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं में निकाय द्वारा राशि की व्यवस्था करना के शीर्षक (भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान को छोड़कर)	AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं में निकाय को प्राप्त राशि (राशि रु करोड़ में)	AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं में प्राप्ति हेतु शेष राशि (राशि रु करोड़ में)
अभिसरण (Convergence) के माध्यम से अन्य योजनाओं से प्राप्त राशि		
निकाय के किसी स्रोत से / अन्य किसी स्रोत से प्राप्त राशि		

4.10- AHP घटक अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं में नागरिक भागीदारी, सूचना शिक्षा संचार (आई.ई.सी.) गतिविधि एवं नवाचार — 10%

आई.ई.सी. गतिविधि -

- ✓ ब्रोशर / पैम्फलेट - 4%
- ✓ होर्डिंग / बिलबोर्ड - 2%
- ✓ सोशल मीडिया अभियान - 1%

नवाचार -

अधिकारी / कर्मचारी के हस्ताक्षर

पदनाम

दिनांक



प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) पुरस्कार वर्ष 2017-18
आवेदन का प्रारूप-3 (पुरस्कार श्रेणी पांच के लिये प्रस्तुत करें)

1- उत्कृष्ट कार्य पर टीप

2- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के AHP/ISSR/BLC घटक अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु भूमि आवंटन की स्थिति — 100%

(संलग्न प्रपत्र-द अनुसार)

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का घटक	जिले की नगरीय निकायों में स्वीकृत योजनाओं हेतु कुल भूमि की आवश्यकता (हेक्टेयर में)	जिले की नगरीय निकायों में स्वीकृत योजनाओं हेतु कुल भूमि की आवश्यकता के विरुद्ध आवंटन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	जिले की नगरीय निकायों में स्वीकृत योजनाओं में आवंटन हेतु शेष भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)
AHP			
BLC			
ISSR			



3- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं की हितग्राही सूची के अनुमोदन की स्थिति — 100%

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का घटक	जिले की नगरीय निकायों में स्वीकृत EWS आवासों की संख्या	जिले की नगरीय निकायों में स्वीकृत EWS आवासों की संख्या के विरुद्ध अनुमोदित हितग्राहियों की संख्या	जिले की नगरीय निकायों में अनुमोदन हेतु शेष हितग्राहियों की संख्या
AHP			
BLC			
ISSR			

4- जिले की नगरीय निकायों में पट्टा वितरण की स्थिति — 100%

(संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार)

जिले की नगरीय निकायों में भूमिहीन परिवारों की संख्या	जिले की नगरीय निकायों में भूमिहीन परिवारों की संख्या के विरुद्ध आवंटित पट्टों की संख्या	जिले की नगरीय निकायों में आवंटन हेतु शेष पट्टों की संख्या

अधिकारी / कर्मचारी के हस्ताक्षर

पदनाम

दिनांक



प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) पुरस्कार वर्ष 2017-18
आवेदन का प्रारूप-4 (पुरस्कार श्रेणी छह के लिये प्रस्तुत करें)

1- उत्कृष्ट कार्य पर टीप

2- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के CLSS घटक अंतर्गत मध्य प्रदेश में कितने हितग्राहियों का गृह-ऋण स्वीकृत किया गया है — 100%

हितग्राही की श्रेणी	हितग्राहियों की संख्या जिनका गृह-ऋण योजना के CLSS घटक के माध्यम से स्वीकृत किया गया है
EWS	
LIG	
MIG-1	
MIG-2	

3- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं हेतु EWS श्रेणी के कितने हितग्राहियों का गृह-ऋण स्वीकृत किया गया है — 100%
 (संलग्न प्रपत्र-स अनुसार)

AHP/ISSR घटक अंतर्गत स्वीकृत EWS आवासों की संख्या जिनका गृह-ऋण स्वीकृत किया गया है

अधिकारी / कर्मचारी के हस्ताक्षर

पदनाम

दिनांक



Annexure-B
Government
Order for
Distribution of
Patta

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक ^{भूमिहीन} ~~मि-1-6~~ / 2017 / 18-3 / 18/43

भोपाल, दिनांक 10/08/2017

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय:—मध्यप्रदेश, नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत आवासीय भूमि के पट्टे दिया जाने के संबंध में।

- संदर्भ:**—1. मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग का परिपत्र क्रमांक—एफ-1-6/2013/18-3, दिनांक 29 अप्रैल, 2013
2. मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग का परिपत्र क्रमांक—2002/2015/18-3, भोपाल दिनांक 30.12.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 20 अप्रैल 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1984 की धारा 3 (एक) तथा 3 (दो) एवं धारा 4 (चार) में समय—सीमा "31 दिसम्बर 2014" स्थापित की गई है। (राजपत्र की प्रति संलग्न है)

2. संदर्भित परिपत्र क्रमांक 1 एवं 2 में दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 31 दिसम्बर 2014 की स्थिति में राज्य शासन नगरीय निकायों अथवा विकास प्राधिकरणों की भूमि या तो अपने स्वयं के नाम पर या कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से स्वामित्व में नहीं रखता हो, को आवासीय पट्टे प्रदान किये जाने हेतु सर्वेक्षण दी गई समय—सारणी द्वारा किया जाना था। राज्य शासन द्वारा पात्र हितग्राहियों के सर्वेक्षण तथा पट्टा वितरण की संशोधित समय—सारणी जारी किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें नगरीय क्षेत्र के छूटे हुये पात्र हितग्राहियों को पट्टा प्रदाय किया जा सके। संशोधित समय—सारणी निम्नानुसार है:—

2.1 31 दिसम्बर 2014 की स्थिति में पात्र हितग्राहियों हेतु सर्वेक्षण की समय—सारणी :-

- | | | |
|---|---|------------------|
| (1) सर्वेक्षण दलों का गठन तथा सर्वेक्षण प्रारंभ करने की तिथि | — | 20 जुलाई, 2017 |
| (2) सर्वेक्षण समाप्त होने की तिथि | — | 21 अगस्त, 2017 |
| (3) प्रारंभिक सर्वेक्षण सूची का प्रकाशन | — | 01 सितम्बर, 2017 |
| (4) अंतिम सर्वेक्षण सूची का प्रकाशन | — | 11 सितम्बर, 2017 |
| (5) सर्वेक्षण सूची प्राधिकृत अधिकारी तथा कलेक्टर के हस्ताक्षर से आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को भेजने की तिथि | — | 15 सितम्बर, 2017 |

2.2 31 दिसम्बर 2014 की स्थिति में पात्र हितग्राहियों हेतु पट्टा वितरण की समय—सारणी :-

- | | | |
|---|---|------------------|
| (1) व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित बस्तियों की पहचान, ऐसे व्यवस्थापन हेतु उपयुक्त स्थल का चयन एवं संबंधित औपचारिकताओं की पूर्ति | — | 11 सितम्बर, 2017 |
|---|---|------------------|

- | | | | | |
|-----|---|---|----|---------------|
| (2) | चिन्हित हितग्राही संख्या के अनुपात में स्थाई तथा अस्थाई पट्टा विलेखों का मुद्रण | — | 18 | सितम्बर, 2017 |
| (3) | पट्टों के वितरण की कार्यवाही प्रारंभ करना | — | 25 | सितम्बर, 2017 |
| (4) | पट्टा वितरण की कार्यवाही पूर्ण करना | — | 26 | दिसम्बर, 2017 |
| (5) | किन्हीं कारणवश छूटे हुये पात्र हितग्राहियों को पट्टा वितरण की कार्यवाही पूर्ण करने की अंतिम अवधि— | | 27 | जनवरी, 2018 |
| (6) | वितरित किये गये पट्टों की जानकारी आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्रस्तुत करना | — | 05 | फरवरी, 2018 |

31 दिसम्बर 2014 की स्थिति में पात्र हितग्राहियों हेतु सर्वेक्षण तथा पट्टा वितरण संबंधी अन्य प्रावधान मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग का परिपत्र क्रमांक—एफ—1—6/2013/18—3, दिनांक 29 अप्रैल, 2013 अनुसार होंगे।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये शहरी भूमिहीन व्यक्तियों को आवासीय भूमि के पट्टे दिये जाने में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाये तथा आवश्यकतानुसार संपन्न की जाने वाली कार्यवाही का समुचित प्रचार—प्रसार किया जाये।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


 (विवेक अग्रवाल)
 सचिव
 मध्यप्रदेश शासन
 नगरीय विकास एवं आवास विभाग
 मंत्रालय, भोपाल

पृ० क्र० ^{भूमिहीन} ~~...~~ / 2017 / 18-3 / 18144
 प्रतिलिपि:— ~~...~~ -1-6

भोपाल, दिनांक 10/06/2017

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल।
5. आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश।
9. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश।


 सचिव
 मध्यप्रदेश शासन
 नगरीय विकास एवं आवास विभाग
 मंत्रालय, भोपाल

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 165]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 अप्रैल 2017—चैत्र 30, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2017

क्र. 6321-79-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 12 अप्रैल, 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १२ सन् २०१७

मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का
प्रदान किया जाना) संशोधन अधिनियम, २०१७

[दिनांक १२ अप्रैल, २०१७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में
दिनांक २० अप्रैल, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, १९८४
को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अधिनियम, २०१७ है. संक्षिप्त नाम.

धारा ३ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, १९८४ (क्रमांक १५ सन् १९८४) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ में,—

(एक) उपधारा (१) में, अंक और शब्द "३१ दिसम्बर, २०१२" के स्थान पर, अंक और शब्द "३१ दिसम्बर, २०१४" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) में, अंक और शब्द "३१ दिसम्बर, २०१२" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, अंक और शब्द "३१ दिसम्बर, २०१४" स्थापित किए जाएं.

धारा ४ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (२) में, अंक और शब्द "३१ दिसम्बर, २०१२" के स्थान पर, अंक और शब्द "३१ दिसम्बर, २०१४" स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2017

क्र. 6321-79-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अधिनियम, 2017 (क्रमांक 12 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
NO.12 OF 2017

THE MADHYA PRADESH NAGARIYA KSHETRON KE BHOOMIHIN VYAKTI
(PATTADHRITI ADHIKARON KA PRADAN KIYA JANA) SANSHODHAN
ADHINIYAM, 2017

[Received the assent of the Governor on the 12th April, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 20th April, 2017].

An Act further to amend the Madhya Pradesh Nagariya Kshetron Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhinyam, 1984.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-eighth year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagariya Kshetron Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Sanshodhan Adhinyam, 2017.

Amendment of Section 3.

2. In Section 3 of the Madhya Pradesh Nagariya Kshetron Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhinyam, 1984 (No. 15 of 1984) (hereinafter referred to as the principal Act),—

- (i) in sub-section (1), for the figures and words "31st day of December, 2012", the figures and words "31st day of December, 2014" shall be substituted;
- (ii) in sub-section (2), for the figures and words "31st December, 2012" wherever they occur, the figures and words "31st December, 2014" shall be substituted.

Amendment of Section 4.

3. In Section 4 of the principal Act, in sub-section (2), for the figures and words "31st December, 2012" the figures and words "31st December, 2014" shall be substituted.

मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
"मंत्रालय"

क्रमांक एफ-1-6/2013/18-3

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल, 2013

प्रति

सागरस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय:- मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 के अंतर्गत आवासीय भूमि के पट्टे दिया जाना ।

-0-

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 में विभिन्न संशोधन किये जाने संबंधी अधिसूचना क्रमांक 2867-136-21-अ (प्र) अधि.दिनांक 18 अप्रैल, 2013 की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न (परिशिष्ट-एक) प्रेषित है । उक्त अधिनियम की अद्यतन संशोधित प्रति तथा मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) नियम, 2008 की प्रति विभागीय वेबसाइट www.mp.urban.gov.in पर उपलब्ध है ।

2. अधिसूचना दिनांक 18 अप्रैल, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 में निम्नलिखित संशोधन किये गये हैं:-

- (1) हितग्राही की पात्रता के निर्धारण के लिए " Cut off date" 31 दिसंबर, 2012 नियत की गयी है ।
- (2) सर्वेक्षण एवं पट्टों के प्रदाय के संबंध में हितग्राहियों द्वारा गलत जानकारी देने या जानकारी छिपाते हुए कपटपूर्वक पट्टाधृति अधिकार प्राप्त करने, पट्टे की भूमि का विक्रय, किराये आदि पर अंतरण, या किसी व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक अथवा प्रलोभन द्वारा पट्टाधारी को आवंटित भूमि का अधिपत्य प्राप्त करने के अपराध के लिये दण्ड के प्रावधानों को कठोर बनाया गया है ।

3. अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सामान्यतः 45 वर्गमीटर आकार के आवासीय पट्टे दिये जायेंगे, किंतु यदि अधिमोगी के अधिमोग में उससे अधिक भूमि है तो नगरपालिका निगम के क्षेत्र में 45 वर्गमीटर, नगरपालिका क्षेत्र में 60 वर्गमीटर

५

-2-

तथा नगर परिषद के क्षेत्र में 80 वर्गमीटर आकार तक की भूमि के पट्टे दिये जा सकेंगे। इससे अधिक भूमि का अधिपत्य होने पर हितग्राही द्वारा उसे समर्पित करना होगा।

4. उपर्युक्तानुसार राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि दिनांक 31 दिसंबर, 2012 की स्थिति में राज्य शासन, नगरीय निकायों अथवा विकास प्राधिकरणों की भूमि पर काबिज व्यक्ति जो वहां वास्तविक रूप से निवास कर रहा है कोई मकान या भूमि या तो अपने स्वयं के नाम पर या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से स्वामित्व में नहीं रखता हो, को आवासीय पट्टों का वितरण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाये। इस प्रयोजन के लिए सर्वेक्षण का कार्य 1 मई से 31 मई, 2013 के मध्य संपन्न किया जायेगा। तदोपरांत प्रदेश में पट्टों के वितरण की कार्यवाही दिनांक 20 जून, 2013 से प्रारंभ कर 31 जुलाई, 2013 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जाये।

5. हितग्राहियों के सर्वेक्षण की प्रक्रिया-

पट्टे दिये जाने के लिये पात्र व्यक्तियों के चयन हेतु सर्वेक्षण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी-

- (1) 31 दिसंबर, 2012 की स्थिति में शहरी क्षेत्रों में शाराकीय, नजूल, स्थानीय निकायों अथवा विकास प्राधिकरणों की भूमि पर निवास करने वाले ऐसे आवासहीन व्यक्तियों जिनके पास उक्त पते का राशनकार्ड बना हो, के नाम सर्वेक्षण सूची में सम्मिलित किये जायेंगे। राशनकार्ड न होने की दशा में संबंधित नगरीय निकाय द्वारा इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत समुचित अधिकारी संबंधित व्यक्ति की पात्रता का सत्यापन करेगा।
- (2) जिन व्यक्तियों के पास पूर्व से पट्टे उपलब्ध हैं या शासन की किसी योजना में भूखंड / आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु उनका चयन किया गया है, ऐसे व्यक्तियों के नाम इस सर्वेक्षण सूची में सम्मिलित नहीं किये जायें।
- (3) यदि कोई भूमिहीन व्यक्ति किरायेदार के रूप में झुग्गी में निवास कर रहा है तथा उसके नाम पर संबंधित नगरीय क्षेत्र में कोई आवासीय भूमि/मकान नहीं है तब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का नाम सर्वेक्षण सूची में सम्मिलित किया जायेगा। किंतु संबंधित झुग्गी के मालिक का नाम सर्वेक्षण सूची में किसी भी परिस्थिति में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(4) सर्वेक्षण के लिए प्रपत्र :-

अधिनियम के अंतर्गत भूमिहीन व्यक्तियों की पहचान के लिये संलग्न परिशिष्ट-दो में विहित प्रारूप में सर्वेक्षण किया जायेगा ।

सर्वेक्षण उपरोक्त वास्तविक रूप से लाभान्वित पात्र हितग्राहियों के प्रत्येक परिवार/व्यक्ति के बारे में विस्तृत विवरण मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) नियम, 2008 के नियम-3 के संलग्न प्रारूप "क" में दर्ज कर स्थाई रूप से संधारित किये जायेंगे ।

(5) सर्वेक्षण दलों का गठन

योजनान्तर्गत भूमिहीन व्यक्तियों के सर्वेक्षण के लिए संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा पर्याप्त संख्या में सर्वेक्षण दल प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के लिए गठित किये जायेंगे । सर्वेक्षण दल का प्रमुख यथा संगव एक राजस्व अधिकारी होगा जो कि नायब तहसीलदार के स्तर से कम का नहीं होगा । सर्वेक्षण में नगरीय निकायों के कर्मचारियों को भी आवश्यकतानुसार संलग्न किया जायेगा ।

(6) प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति

सर्वेक्षण कार्य संपन्न करने के लिए कलेक्टर द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति की जावेगी । यह अधिकारी उपखंड पदाधिकारी, सहायक कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर के स्तर से निम्न स्तर का नहीं होगा । कलेक्टर के सामान्य पर्यवेक्षण के अधीन प्राधिकृत अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वेक्षण कार्य संपन्न कराने के लिए उत्तरदायी होगा ।

किसी नगरीय क्षेत्र में भौगोलिक आकार के आधार पर विभिन्न भागों के लिए पृथक-पृथक प्राधिकृत अधिकारी भी नियुक्त किये जा सकेंगे ।

(7) सर्वेक्षण सूची वेबसाईट पर अपलोड करना-

जिले के नगरीय क्षेत्रों में संपन्न कराये गये सर्वेक्षण के आधार पर प्रारंभिक सूची दिनांक 1 जून, 2013 को सर्वसाधारण के सूचनार्थ कलेक्टर कार्यालय, संबंधित उपखंड (राजस्व) कार्यालय एवं नगरीय निकाय/विकास

प्राधिकरण के कार्यालय/वार्ड कार्यालय में प्रकाशित करायी जायेगी। उक्त सूची जिला कार्यालय की वेबसाईट पर "अपलोड" की जायेगी तथा उसकीप्रति ई-मेल cmamp2@mpurban.gov.in पर विभागीय वेबसाईड www.mpurban.gov.in पर अपलोड करने के लिये भी अनिवार्य रूप से भेजी जाये।

प्रारंभिक सूची के संबंध में आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित कर उनका निराकरण करने के पश्चात अंतिम सूची का प्रकाशन 15 दिवस की समय-सीमा में अनिवार्य रूप से कराया जावेगा।

(b) आपत्तियों/सुझावों पर निर्णय के लिये सक्षम समितियां

प्रारंभिक सर्वेक्षण सूची के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचारोंपरांत निम्नानुसार समिति द्वारा सूची को अंतिम रूप दिया जायेगा:-

जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्रों के लिये

(एक) कलेक्टर	अध्यक्ष
(दो) पुलिस अधीक्षक	सदस्य
(तीन) नगर निगम आयुक्त/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद का मुख्य नगरपालिका अधिकारी	सदस्य
(चार) नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय का स्थानीय अधिकारी	सदस्य
(पांच) जिला शहरी विकास अभिकरण का परियोजना अधिकारी	सदस्य

अन्य नगरीय क्षेत्रों के लिये

(एक) उपखण्ड अधिकारी (राजरव)	अध्यक्ष
(दो) उप खण्ड अधिकारी (पुलिस)	सदस्य
(तीन) नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय का स्थानीय जिला अधिकारी	सदस्य
(चार) जिला शहरी विकास अभिकरण का परियोजना अधिकारी	सदस्य
(पांच) नगरपालिका परिषद/नगर परिषद का मुख्य नगरपालिका अधिकारी	सदस्य

जिला मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य नगरीय क्षेत्रों में सर्वेक्षण सूची को अंतिम रूप देने के लिए गठित समिति द्वारा अनुमोदित सूची संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा अभिप्रमाणित की जायेगी। जिला कलेक्टरों द्वारा अंतिम सर्वेक्षण सूची दिनांक 15 जून, 2013 को प्रकाशित कराई जायेगी। यह सूची भी जिला कार्यालय तथा विभागीय वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड कराई जायेगी।

(9) सर्वेक्षण की समय सारणी

सर्वेक्षण की समय-सारणी निम्नानुसार होगी—

1.	सर्वेक्षण दलों का गठन तथा सर्वेक्षण प्रारंभ करने की तिथि	...	1 मई, 2013
2.	सर्वेक्षण समाप्त होने की तिथि	...	31 मई, 2013
3.	प्रारंभिक सर्वेक्षण सूची का प्रकाशन	...	1 जून, 2013
5.	अंतिम सर्वेक्षण सूची का प्रकाशन	...	15 जून, 2013
6.	सर्वेक्षण सूची प्राधिकृत अधिकारी तथा कलेक्टर के हस्ताक्षर से आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को भेजने की तिथि	...	20 जून, 2013

(10) उपर्युक्त निर्देशों के अनुसरण में जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में किये गये सर्वेक्षण अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाणित सर्वेक्षण सूची दिनांक 20 जून, 2013 तक आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को विशेष बाहक के हस्त भिजवाना सुनिश्चित किया जाए। कृपया प्रमाणित सर्वेक्षण सूची की एक सॉफ्ट कॉपी (सीडी) भी अवश्य भेजी जाये।

(11) हितग्राहियों का कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस/बायोमेट्रिक सर्वे

उपरोक्तानुसार भौतिक सर्वेक्षण के उपरान्त समानान्तर रूप से आवासहीनों का कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस तैयार किया जायेगा। सर्वेक्षण अनुसार पात्र हितग्राहियों के बायोमेट्रिक/डाटाबेस तैयार करने तथा इसमें यूनिक आईडेंटिफिकेशन प्रणाली (आधार) का उपयोग करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।

6. स्थाई तथा अस्थायी पट्टे-

पट्टे दिये जाने के लिए पात्र पाये गये व्यक्तियों के संबंध में दो स्थितियाँ निर्मित हो सकती है। प्रथमतः जिन व्यक्तियों को व्यापक जनहित में अन्यत्र व्यवस्थापित नहीं किया जाना है उन्हें उसी स्थल पर, जहाँ वे वर्तमान में काबिज हैं, स्थाई पट्टे प्रदान किये जायेंगे। दूसरी स्थिति स्थानीय तथा भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए विद्यमान झुग्गी बस्तियों को उनके वर्तमान स्थल से अन्यत्र व्यवस्थापन किये जाने की आवश्यकता संबंधी हो सकती है। इस प्रयोजन के निर्णय हेतु जिला कलेक्टर/उपखंड पदाधिकारी द्वारा वांछित जानकारी संबंधित समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगी। अतः सर्वेक्षण कार्य के दौरान ही यह जानकारी भी संकलित कर ली जाये कि किन बस्तियों में काबिज व्यक्तियों को अन्यत्र व्यवस्थापित करने की आवश्यकता होगी तथा उसका वैकल्पिक प्रस्ताव क्या है।

बस्तियों के व्यवस्थापन संबंधी मामलों में निम्न समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचारोपरान्त निर्णय लिया जायेगा:-

(अ) भोपाल शहर के लिये

- | | | |
|-----|---|---------|
| (1) | प्रमुख सचिव, नगरीय प्रसारण एवं विकास विभाग | अध्यक्ष |
| (2) | संभागीय आयुक्त, भोपाल | सदस्य |
| (3) | कलेक्टर, भोपाल | सदस्य |
| (4) | पुलिस अधीक्षक, भोपाल | सदस्य |
| (5) | क्षेत्र का उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) | सदस्य |
| (6) | आयुक्त, न.पा.निगम, भोपाल | सदस्य |
| (7) | संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल | सदस्य |
| (8) | परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, भोपाल | सदस्य |

(ब) अन्य संभागीय स्तर के शहरों के लिये

- | | | |
|-----|--|---------|
| (1) | संभागीय आयुक्त | अध्यक्ष |
| (2) | कलेक्टर | सदस्य |
| (3) | पुलिस अधीक्षक | सदस्य |
| (4) | क्षेत्र का उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) | सदस्य |
| (5) | आयुक्त, नगरपालिका निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी | सदस्य |
| (6) | नगर तथा ग्राम निवेश का स्थानीय अधिकारी | सदस्य |
| (7) | परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण | सदस्य |

(रा) जिला स्तरीय एवं अन्य शहरों के लिए

(1)	कलेक्टर	अध्यक्ष
(2)	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
(3)	क्षेत्र का उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)	सदस्य
(4)	संबंधित आयुक्त, नगरपालिका निगम/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद	सदस्य
(5)	नगर तथा ग्राम निवेश जिले का भारसाधक अधिकारी	सदस्य
(6)	परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण	सदस्य

ऐसे स्थल जिन पर विद्यमान झुग्गी बस्तियों को अन्यत्र व्यवस्थापित किये जाने का निर्णय लिया जाता है, उन बस्तियों में काबिज व्यक्तियों को तात्कालिक तौर पर अस्थायी पट्टे जारी किये जायेंगे।

7. जारी किये जाने वाले स्थाई तथा अस्थाई पट्टों के प्राधिकार पत्र (पट्टा विलेख) क्रमशः लाल और पीले रंग के होंगे, जिनके प्रारूप नियम, 2008 के नियम (7) में क्रमशः प्रारूप-ख तथा प्रारूप-ग अनुसार होंगे। पट्टे पर हितग्राही (पति-पत्नी) का संयुक्त छायाचित्र चस्पा करना होगा तथा नियत स्थान पर उनके बायें हाथ की सुस्पष्ट अंगूठा निशानी भी ली जायेगी, जिसका उपयोग शहरों में किये जाने वाले बायोमेट्रिक सर्वे के अंतर्गत हितग्राहियों की पहचान की प्रक्रिया में किया जावेगा। छायाचित्र प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर/पदमुद्रा के अधीन प्रमाणित किया जावेगा।

8. स्थायी रूप से पट्टा दिये जाने वाले क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं यथा सड़क, स्वच्छ पेयजल, नालियां/बिजली आदि की सुविधा शासन की विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए उपलब्ध करायी जायेंगी। अतः ऐसी बस्तियों में किये जाने वाले कार्य तथा उसके लिए विभिन्न योजनाओं में राशि की व्यवस्था संबंधी कार्यवाही संबंधित नगरीय निकायों/विकास प्राधिकरणों के समन्वय में अविलंब पूर्ण कर ली जाये।

9. पट्टा वितरण की समय-सारणी-

इन निर्देशों के अनुपालन में जिलों में पट्टे दिये जाने के संबंध में समय-सारणी निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-

- (1) व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित बस्तियों की पहचान, ... 15 जून, 2013
ऐसे व्यवस्थापन हेतु उपयुक्त स्थल का चयन एवं संबंधित औपचारिकताओं की पूर्ति
- (2) विहित हितग्राही संख्या के अनुपात में स्थाई तथा अस्थाई पट्टा विलेखों का मुद्रण ... 20 जून, 2013
- (3) पट्टों के वितरण की कार्यवाही प्रारंभ करना ... 20 जून, 2013
- (4) पट्टा वितरण की कार्यवाही पूर्ण करना ... 31 जुलाई, 2013
- (5) वितरित किये गये पट्टों की जानकारी आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्रस्तुत करना ... 5 अगस्त, 2013

10. अनाधिकृत पट्टा प्राप्त करने/पट्टे की भूमि पर काबिज लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही -

अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के अंतर्गत आवासीय भूमि के पट्टे दिये जाने के संबंध में सर्वेक्षण करते समय पूर्व वर्षों में दिये गये पट्टों की भूमि वैध पट्टाधारी के अधिपत्य में होने संबंधी स्थिति की जांच भी अनिवार्य रूप से की जाये । धारा-5 के अंतर्गत पट्टे की भूमि पर अवैध अधिपत्य रखने अथवा आवंटित भूमि को किराये/विक्रय आदि से माध्यम से अंतरित करने के प्रकरणों की सूक्ष्म स्थल जांचोपरत अभिलेखीय साक्ष्य एकत्रित कर सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने की कार्यवाही भी प्रारंभ की जाये ।

11. सर्वेक्षण सूची का कम्प्यूटरीकरण-

इन निर्देशों के तहत निर्धारित प्रारूप में तैयार किये गये निम्नांकित दस्तावेजों की कम्प्यूटरीकृत प्रति भी समानान्तर रूप से तैयार कराई जाये:-

- (1) प्रारंभिक तथा अंतिम सर्वेक्षण सूची
- (2) आवंटित पट्टों की सूची
- (3) पूर्व आवंटित पट्टों में अनाधिकृत/अधिपत्य/अंतरण के प्रकरणों की सूची तथा उनके संबंध में प्रारंभ की गई न्यायालयीन कार्यवाही का वितरण

11

-9-

12. राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसरण में शहरी भूमिहीन व्यक्तियों को आवासीय भूमि के पट्टे दिये जाने की कार्रवाई में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाये तथा आवश्यकतानुसार संपन्न होने वाली कार्रवाई का समुचित प्रचार-प्रसार भी किया जाय।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(एस.पी.एस.परिहार)

प्रमुख सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

29/4/13

पृष्ठांकन क्रमांक एफ-1-6/18-3 /2013
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 29 अप्रैल, 2013

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग/आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
8. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
9. समस्त संभागीय उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश।
10. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश।

प्रमुख सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

12

परिशिष्ट-एक

वेब पोर्टल www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 173]

भागल, बुधवार, दिनांक 18 अप्रैल 2013—जेन 28, शं० 1945

विधि और विधायी कार्य विभाग

भागल, दिनांक 18 अप्रैल 2013

क. 2827 126 (कलम-अ(प्र.)-अध.)—मध्यप्रदेश विभाग तथा वन विभागाधीन 3 परिनियम नियम पर दिनांक 16 अप्रैल 2013 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, इसद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अवर सचिव

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २० सन् २०१३

मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अधिनियम, २०१३

[दिनांक २५ अप्रैल २०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुसूची 'मध्यप्रदेश गजपत्र (असाधारण)' में दिनांक १८ अप्रैल, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई।]

मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, १९८४ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के चौदहवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा विधान संशोधन रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अधिनियम, २०१३ है।

धारा ३ का संशोधन

२. मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, १९८४ (क्रमांक २५ सन् १९८४) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम में निर्दिष्ट है) की धारा ३ में,—

(एक) उपधारा (१) में, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २००७" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २०१२" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) में, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २००७" जहां कहीं भी वे आए हों के स्थान पर, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २०१२" स्थापित किए जाएं।

धारा ४ का संशोधन

३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (२) में, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २००७" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २०१२" स्थापित किए जाएं।

धारा ५ का संशोधन

४. मूल अधिनियम की धारा ५ में,—

(एक) उपधारा (१) में, शब्द "और जुमाने से जो पांच सौ रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा", के स्थान पर, शब्द "और जुमाने से जो दो हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) में, शब्द "जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुमाने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोसौ से", के स्थान पर, शब्द "जो तीन मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुमाने से जो दो हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा" स्थापित किए जाएं;

(तीन) उपधारा (३) में, शब्द "जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुमाने से जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोसौ से", के स्थान पर, शब्द "जो तीन मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुमाने से जो दो हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा" स्थापित किए जाएं;

14

संघान्त विचारक नि. अ. 2013

क्र. 2668-136-इकोम अ. प्र.) अधि- - भारत के संसदन के संसद के अधिनियम (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिका क्षेत्रों में पट्टाधिकार व्यक्ति (पट्टाधिकार अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 20 स. 2013) का अधिनियम अनुसूची संशोधन का प्रतिकार में संशोधन प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के संसदन के सभा में तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अवर सचिव

MADHYA PRADESH ACT
No. 20 of 2013.

THE MADHYA PRADESH NAGARIYA KSHETRON KE BHOOMIHIN VYAKTI
(PATTADHIRITI ADHIKARON KA PRADAN KIYA JANA) SANSHODHAN
ADHINIYAM, 2013.

Received the assent of the Governor on the 16th April, 2013; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 18th April, 2013.

An Act further to amend the Madhya Pradesh Nagariya Kshetron Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhiriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1984.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-fourth year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagariya Kshetron Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhiriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Sanshodhan Adhiniyam, 2013. Short title.

2. In Section 3 of the Madhya Pradesh Nagariya Kshetron Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhiriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1984 (No. 45 of 1984) (hereinafter referred to as the principal Act), - Amendment of Section 3.

- (i) in sub-section (1), for the figures and words "31" day of December, 2007", the figures and words "31" day of December, 2012" shall be substituted;
- (ii) in sub-section (2), for the figures and words "31" December, 2007" wherever they occur, the figures and words "31" December, 2012" shall be substituted.

3. In Section 4 of the principal Act, in sub-section (2), for the figures and words "31" December, 2007", the figures and words "31" December, 2012" shall be substituted. Amendment of Section 4.

4. In Section 5 of the principal Act,

- (i) in sub-section (1), for the words "and with fine which shall not be less than five hundred rupees but which may extend to one thousand rupees", the words "and with fine which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to ten thousand rupees" shall be substituted;
- (ii) in sub-section (2), for the words "may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both", the words "shall not be less than three months but which may extend to three years and with fine which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to ten thousand rupees" shall be substituted;
- (iii) in sub-section (3), for the words "may extend to one year or with fine which may extend to five thousand rupees or with both", the words "shall not be less than three months but which may extend to three years and with fine which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to ten thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of Section 5.

शपथ-पत्र

(प्राधिकृत अधिकारी न0प्र0नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति(पट्टाधृति अधिकारी का प्रदान किया जाना) अधिनियम,1984 के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले)

मैं आयु..... वर्ष पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री.....
निवासी..... निम्न कथन/घोषणा शपथपूर्वक करता/करती हूँ
कि -

1. मैं दिनांक..... से निरस्त.....
(बस्ती का नाम) की झुग्गी क0..... में निवास कर रहा/रही हूँ ।
2. यह कि उक्त झुग्गी के अतिरिक्त मेरे पास मेरे नाम से अथवा मेरे पति/पत्नि,
अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री या रक्त पर आधारित मुझ पर पूर्णतः आश्रित
नातेदार के नाम से नगरीय क्षेत्र में अन्य कोई आवासीय भूमि/भवन नहीं है ।
3. यह कि इसके पूर्व मेरा नाम किसी भी अन्य योजना के अंतर्गत
आवासगृह/आवासीय भूमि आवंटन की सर्वेक्षण सूची में सम्मिलित नहीं हुआ
है ।
4. यह कि उक्त चरण क0 1 से 3 में दर्शित जानकारी असत्य पाई जाने की
दशा में उत्तरदायित्व मेरा स्वयं का रहेगा तथा शासन द्वारा वैधानिक
कार्यवाही किए जाने पर मैं दण्ड का भागी रहूंगा/रहूंगी ।

हस्ताक्षर शपथगृहीता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथगृहीता सत्यापित
करता/करती हूँ कि उक्त शपथपत्र के चरण क0 1 से 4 में उल्लेखित तथ्य व
जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सही व सत्य है, जिसका सत्यापन मेरे द्वारा आज
दिनांक..... को भोपाल में किया गया ।

हस्ताक्षर शपथगृहीता

मध्यप्रदेश शासन,
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग
"मंत्रालय"

क्रमांक-2002/2015/18-3

भोपाल, दिनांक 30-12-15

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषय:- मध्यप्रदेश, नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत आवासीय भूमि के पट्टे दिया जाना।

संदर्भ:- मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग का परिपत्र क्रमांक-एफ-1-6/2013/18-3, दिनांक 29 अप्रैल, 2013।

—00—

मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत संदर्भित परिपत्र द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति में राज्य शासन, नगरीय निकायों अथवा विकास प्राधिकरणों की भूमि पर काबिज व्यक्ति जो वहां वास्तविक रूप से निवास कर रहा है, कोई मकान या भूमि या तो अपने स्वयं के नाम पर या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से स्वामित्व में नहीं रखता हो, को आवासीय पट्टों का वितरण अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने के निर्देश दिये गये थे। राज्य शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि परिपत्र में दी गयी समय-सीमा में कतिपय नगरीय क्षेत्रों में पात्र हितग्राहियों को पट्टा प्रदाय नहीं हो पाया है।

2. संदर्भित परिपत्र में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार पात्र हितग्राहियों के सर्वेक्षण तथा पट्टा वितरण की संशोधित समय सारणी जारी किये जाने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है, जिससे नगरीय क्षेत्र के छूटे हुये पात्र हितग्राहियों को पट्टा प्रदाय किया जा सके। संशोधित समय सारणी निम्नानुसार है :-

2.1 31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति में पात्र हितग्राहियों हेतु सर्वेक्षण की समय सारणी :

- | | | |
|---|---|----------------|
| (1) सर्वेक्षण दलों का गठन तथा सर्वेक्षण प्रारंभ करने की तिथि | - | 01 जनवरी, 2016 |
| (2) सर्वेक्षण समाप्त होने की तिथि | - | 31 जनवरी, 2016 |
| (3) प्रारंभिक सर्वेक्षण सूची का प्रकाशन | - | 05 फरवरी, 2016 |
| (4) अंतिम सर्वेक्षण सूची का प्रकाशन | - | 20 फरवरी, 2016 |
| (5) सर्वेक्षण सूची प्राधिकृत अधिकारी तथा कलेक्टर के हस्ताक्षर से आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को भेजने की तिथि | - | 25 फरवरी, 2016 |

2.2 31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति में पात्र हितग्राहियों हेतु पट्टा वितरण की समय-सारणी :

- | | | |
|--|---|----------------|
| (1) व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित बस्तियों की पहचान ऐसे व्यवस्थापन हेतु उपयुक्त स्थल का चयन एवं संबंधित औपचारिकताओं की पूर्ति | - | 20 फरवरी, 2016 |
|--|---|----------------|

- (2) चिह्नित हितग्राही संख्या के अनुपात में स्थाई तथा अस्थायी पट्टा विलेखों का मुद्रण - 25 फरवरी, 2016
- (3) पट्टों के वितरण की कार्यवाही प्रारंभ करना - 25 फरवरी, 2016
- (4) पट्टा वितरण की कार्यवाही पूर्ण करना - 31 मार्च, 2016
- (5) वितरित किये गये पट्टों की जानकारी आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्रस्तुत करना - 05 अप्रैल, 2016

31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति में पात्र हितग्राहियों हेतु सर्वेक्षण तथा पट्टा वितरण संबंधी अन्य प्रावधान मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के संदर्भित परिपत्र क्रमांक-एफ-1-6/2013/18-3, दिनांक 29 अप्रैल, 2013 के अनुसार रहेंगे। (परिपत्र की प्रति संलग्न है)

3. राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 की धारा 3 की उपधारा (1) तथा (2) के अन्तर्गत प्रावधानित समय सीमा दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को संशोधित करके दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 किये जाने पर विचार किया जा रहा है तथा नगरीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत शहरों को झुग्गी मुक्त किये जाने की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसके दृष्टिगत यह आवश्यक है कि दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति में हितग्राहियों की पात्रता के निर्धारण हेतु सर्वेक्षण के साथ-साथ दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति में राज्य शासन, नगरीय निकायों अथवा विकास प्राधिकरणों की भूमि पर काबिज व्यक्ति, जो वहां वास्तविक रूप से निवास कर रहा है, कोई मकान या भूमि या तो अपने स्वयं के नाम पर या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से स्वामित्व में नहीं रखता हो, को आवासीय पट्टों को प्रदान किये जाने हेतु सर्वेक्षण किया जाये। 31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति में पात्र हितग्राहियों हेतु सर्वेक्षण के साथ-साथ दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति में हितग्राहियों के सर्वेक्षण की कार्यवाही हेतु समय सारणी निम्नानुसार है :-

3.1 31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति में पात्र हितग्राहियों हेतु सर्वेक्षण की समय सारणी :

- (1) सर्वेक्षण दलों का गठन तथा सर्वेक्षण प्रारंभ करने की तिथि - 01 अप्रैल, 2016
- (2) सर्वेक्षण समाप्त होने की तिथि - 30 अप्रैल, 2016
- (3) प्रारंभिक सर्वेक्षण सूची का प्रकाशन - 05 मई, 2016
- (4) अंतिम सर्वेक्षण सूची का प्रकाशन - 20 मई, 2016
- (5) सर्वेक्षण सूची प्राधिकृत अधिकारी तथा कलेक्टर के हस्ताक्षर से आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को भेजने की तिथि - 25 मई, 2016

दिनांक 31 दिसम्बर, 2014 की स्थिति में पात्र हितग्राहियों के आवासीय पट्टा वितरण के लिये समय सारणी पृथक से प्रेषित की जायेगी।

4. उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये शहरी भूमिहीन व्यक्तियों को आवासीय भूमि के पट्टे दिये जाने में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाये तथा आवश्यकतानुसार संपन्न की जाने वाली कार्यवाही का समुचित प्रसार-प्रचार भी किया जाये।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

(विवेक अग्रवाल)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन


नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

पृष्ठ. क्रमांक- 2003 / 2015 / 18-3

भोपाल, दिनांक 30-12-15

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
4. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
8. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
9. समस्त संभागीय उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश।
10. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश।


सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

Annexure-C
Model Tripartite
Agreement and
Guidelines for
providing Home
Loan to EWS
Beneficiaries



क्रमांक/या०प्र०/०७/२०१७/ ८७१४

भोपाल, दिनांक ०४/०७/२०१७

प्रति,

संयोजक,
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति,
क्षेत्रीय कार्यालय, सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
अरेरा हिल्स, भोपाल
मध्य प्रदेश

विषय:- प्रधान मंत्री आवास योजनान्तर्गत शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराने हेतु सामान्य दिशानिर्देश।

भारत सरकार, आवास और शहरी गरीबी उपशमन, मंत्रालय द्वारा गठित तकनीकी समूह के प्रतिवेदन अनुसार भारत में 1878.8 लाख आवासों की आवश्यकता है, जिसमें से लगभग 96 प्रतिशत आवासों की कमी आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्न आय वर्ग में है। मध्यप्रदेश में उपरोक्त वर्ग में 11.52 लाख आवासों की आवश्यकता पायी गई है। भारत सरकार द्वारा शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने हेतु प्रधान मंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल (शहरी) - 2022 योजना चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के Affordable Housing in Partnership (AHP) एवं In-situ Slum Redevelopment (ISSR) घटक में प्रायः परियोजना लागत का 70 प्रतिशत अंश केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं नगरीय निकाय द्वारा वहन किया जाता है, शेष हितग्राही अंश होता है।

शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हितग्राहियों को हितग्राही अंश की पूर्ति के लिए लिये बैंक/वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ की गई चर्चानुसार सामान्य दिशानिर्देश इस पत्र के साथ संलग्न कर जारी किये जा रहे हैं। उपरोक्त दिशानिर्देश से सभी बैंक/वित्तीय संस्थाओं को अवगत करने का कष्ट करें।

(संलग्न:- उपरोक्तानुसार दिशानिर्देश की प्रति)

(विशेष अग्रवाल)
आयुक्त, सहसचिव
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/HFA/2017/ 8715

भोपाल, दिनांक ०४/०७/२०१७

प्रतिलिपि,

1. आयुक्त, समस्त नगर पालिक निगम एवं मुख्य नगर पालिक अधिकारी, समस्त नगर पालिका परिषद् एवं नगर परिषद्, मध्य प्रदेश।
2. क्षेत्रीय प्रबंधक, HUDCO, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावास भवन भोपाल।
3. क्षेत्रीय स्थानीय प्रतिनिधि, नेशनल हाउसिंग बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया परिसर, भोपाल।
4. जोनल प्रमुख, समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक/प्राइवेट बैंक/हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एवं अन्य वित्तीय संस्था।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त, सहसचिव
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश, भोपाल

प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिये
वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराने हेतु सामान्य दिशानिर्देश :-

भारत सरकार, आवास और शहरी गरीबी उपशमन, मंत्रालय द्वारा गठित तकनीकी समूह के प्रतिवेदन अनुसार भारत में 1878.8 लाख आवासों की आवश्यकता है, जिसमें से लगभग 96 प्रतिशत आवासों की कमी आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्न आय वर्ग में है। मध्यप्रदेश में उपरोक्त वर्ग में 11.52 लाख आवासों की आवश्यकता पायी गई है। भारत सरकार द्वारा शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने हेतु प्रधान मंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल - 2022 योजना चलाई जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के Affordable Housing in Partnership(AHP) एवं In-Situ Slum Redevelopment (ISSR) घटक में प्रायः परियोजना लागत का 70 प्रतिशत अंश केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं नगरीय निकाय द्वारा वहन किया जाता है, शेष हितग्राही अंश होता है।

शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हितग्राहियों को हितग्राही अंश की पूर्ती के लिए लिये बैंक/वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ की गई चर्चानुसार दिशानिर्देश जारी किये जा रहे हैं, जो निम्नानुसार है :-

1. उद्देश्य :-

संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग के शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराने हेतु ये मार्गदर्शी सिद्धांत बनाये गये हैं।

2. लाभांवित हितग्राही :-

ये मार्गदर्शी सिद्धांत प्रदेश के ऐसे हितग्राहियों को वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में लागू होंगे जो योजनायें भारत सरकार, राज्य सरकार, नगरीय निकाय एवं हितग्राहियों के अंशदान से क्रियान्वित की जाती हैं। हितग्राही की आयु 60 वर्ष या कम हो, शहरी गरीब हो एवं उसका चयन नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेन्सी द्वारा किया गया हो।

18 से 50 वर्ष तक के हितग्राहियों को बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से ऋण दिया जाये। 50 से अधिक 60 वर्ष तक के हितग्राहियों के साथ सह-आवेदक (Coborrower) के साथ ऋण दिया जाये। सह-आवेदक (Co-borrower) मुख्य आवेदक के परिवार का सदस्य हो यथा पत्नी, पुत्र, पुत्री (Blood Relation)। इसका सत्यापन नगरीय निकाय के सक्षम अधिकारी (जिनके द्वारा भवन आवंटन आदेश जारी किये जाते हैं) द्वारा दिया जायेगा। सह-आवेदक (Coborrower) की आयु को ध्यान में रखते हुये ऋण अवधि का निर्धारण किया जायेगा।

3. हितग्राहियों का चयन :-

म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा जारी आदेश दिनांक 24.07.2007/दिनांक 01.11.2014 में निर्धारित मापदण्ड अनुसार हितग्राहियों का चयन नगरीय निकायों द्वारा कर उसकी सक्षम स्वीकृति संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर से प्राप्त करनी होगी

उसी चयनित सूची से हिग्राहियों को आवास आवंटित किये जायेंगे एवं इन हितग्राहियों को आवश्यकतानुसार वित्तीय संस्थाओं से ऋण उपलब्ध कराया जाना है।

आवंटन आदेश में हितग्राही का फोटो लगाकर उसका सत्यापन नगरीय निकाय के सक्षम अधिकारी (जिनके द्वारा भवन आवंटन आदेश जारी किये जाते हैं) द्वारा किया जाये।

4. हितग्राही अंश :-

म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये मलीन बस्ती में निवासरत हितग्राहियों हेतु अधिकतम हितग्राही अंश राशि रु. 2.00 लाख एवं अन्य EWS हितग्राहियों हेतु निकाय द्वारा निर्धारित की गई राशि है। समय-समय पर प्रचलित अन्य योजनाओं में हितग्राही अंश का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

किसी हितग्राही की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि वह यह राशि जमा कर सके, तो वह किसी वित्तीय संस्था से ऋण ले सकेगा। ऋण ली गई राशि बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेन्सी में जमा की जायेगी तथा ऋण की अदायगी हितग्राही द्वारा उक्त बैंक/वित्तीय संस्थाओं को किया जायेगा।

5. भूमि स्वामित्व का सत्यापन एवं मानचित्र की स्वीकृति :-

उपरोक्त योजना का क्रियान्वयन जिला कलेक्टर/संभागीय आयुक्त द्वारा म.प्र. शासन की आवंटित भूमि पर किया जाता है। जिससे भूमि विवादरहित होती है। अतः अलग से भूमि स्वामित्व का सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं है। नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेन्सी द्वारा मास्टर सर्च कराकर वित्तीय संस्थाओं को उपलब्ध कराया जायेगा। मास्टर सर्च के रूप में कलेक्टर द्वारा किया गया आवंटन आदेश एवं नगरीय निकाय अपने अधिवक्ता से भूमि का मास्टर सर्च कराकर संबंधित बैंक को उपलब्ध कराये।

6. संपत्ति का मूल्यांकन :-

संपूर्ण परिसंपत्तियों का निर्माण भारत सरकार, राज्य सरकार, नगरीय निकाय एवं हितग्राही के अंशदान से किया जाता है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने के पूर्व नगरीय निकायों द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जाते हैं, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार, आवास और शहरी गरीबी उपशमन, मंत्रालय के सी.एस.एम.सी. द्वारा प्रदान करने के उपरांत समस्त शासकीय विभागों की आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्माण कार्य कराया जाता है जिसके अंतिम मूल्यांकन लागत मूल्य से राज्य सरकार को अवगत कराया जाता है। इसी अंतिम मूल्यांकन लागत मूल्य के आधार पर प्रत्येक आवास की लागत मूल्य आंकलित की जाती है। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुये अलग से मूल्यांकन कराने की आवश्यकता नहीं है। भूमि का मूल्य एवं निर्माण क्षेत्र का मूल्य कलेक्टर गाइडलाइन नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

7. मार्जिन मनी :-

मलिन बस्ती में निवासरत हितग्राहियों के आवासों की कुल निर्माण लागत का लगभग 70 प्रतिशत भाग केंद्रांश, राज्यांश एवं निकाय का होता है। शेष लगभग 30 प्रतिशत, अधिकतम राशि रु. 2.00 लाख हितग्राही के द्वारा जमा की जानी है। अन्य EWS हितग्राहियों हेतु हितग्राही अंश नगरीय निकाय द्वारा निर्धारित किया जायेगा। उक्त का न्यूनतम 10 प्रतिशत मार्जिन मनी हितग्राही

द्वारा देय होगा तथा शेष राशि बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा ऋण के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। मार्जिन मनी हितग्राही द्वारा नगरीय निकाय में जमा किया जावेगा।

8. प्रक्रिया शुल्क :-

बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा हितग्राही से किसी भी प्रकार की प्रक्रिया शुल्क नहीं लिये जाने के अनुमोदन मुख्यालय से प्राप्त करें। ऑउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जैसे- बीमा शुल्क, वैधानिक शुल्क आदि का भुगतान नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेन्सी द्वारा बैंक/वित्तीय संस्थाओं को किया जायेगा, जो निम्नानुसार होंगे :-

विवरण	राशि
स्टॉप ड्यूटी, राज्य सरकार, पंजीयन विभाग (कलेक्टर ऑफ स्टाम्प)	राशि रु. 3000.00
चार्ज नोटिंग, राज्य सरकार, द्वाणिज्यक कर विभाग (सब रजिस्ट्रार)	राशि रु. 1000.00
बीमा शुल्क (बीमा कंपनी)	राशि रु. 1000.00
सरफेसाइ चार्ज (भारत सरकार की संस्था)	राशि रु. 300.00
सिविल संस्था चार्ज (बैंको की शेयर होल्डिंग संस्था)	राशि रु. 200.00
कुल-	राशि रु. 5,500.00

उक्त राशि रु. 5,500.00 (पाँच हजार पाँच सौ रूपये मात्र) में राज्य सरकार को किये जाने वाले भुगतान की छूट के लिये प्रयास किये जायेंगे परन्तु छूट न मिलने तक बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा गृह ऋण स्वीकृत करने के उपरांत तीन दिवस में नगरीय निकायों को मांग पत्र प्रस्तुत किया जायेगा एवं नगरीय निकायों द्वारा तीन दिवस में बैंक/वित्तीय संस्थाओं को भुगतान किया जायेगा उक्त भुगतान उपरांत बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा यथा शीघ्र ऋण वितरित कर दिया जाय।

9. ऋण की अदायगी हेतु संपत्ति का बंधक रखना :-

हितग्राही द्वारा ली जाने वाले ऋण के विरुद्ध वित्तीय संस्थाओं द्वारा आवासीय इकाईयों को ऋण अवधि तक के लिये बंधक रखा जायेगा। बंधक के रूप में हितग्राही के पक्ष में किये गये अलाटमेंट की मूल प्रति वित्तीय संस्थाओं में जमा करायी जायेगी। ऋण राशि की पूर्ण अदायगी होने के उपरांत उक्त अलाटमेंट की प्रति बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा हितग्राही को मूलतः वापस कर दी जायेगी। पूर्ण ऋण भुगतान के उपरांत आवासीय इकाई की रजिस्ट्री हितग्राही के नाम करायी जायेगी।

10. ऋण राशि की अदायगी न किये जाने की स्थिति :-

यदि हितग्राही द्वारा ऋण राशि की लगातार तीन किस्तें अदायगी नहीं की जाती एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण अदायगी के संपूर्ण प्रयास करने के बाद यह सुनिश्चित हो गया हो कि हितग्राही ऋण की राशि अदा नहीं करेगा उस स्थिति में वित्तीय संस्थायें नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेन्सी को सूचना देगा, दी गई सूचना अनुसार नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेन्सी द्वारा ऋण की राशि वापस प्राप्त करने के लिये निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी।

10.1 संबंधित नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेन्सी द्वारा डिफाल्टर हितग्राही का आवास आवंटन निरस्त कर उस आवास को रिक्त कराया जायेगा। रिक्त होने के उपरांत नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेन्सी द्वारा संधारित प्रतीक्षा सूची में से अग्रतक्रम के आधार पर

आवास का आवंटन किया जायेगा। यह प्रक्रिया नगरीय निकायों द्वारा 45 दिवस में पूर्ण की जायेगी। द्वितीय हितग्राही द्वारा स्वयं हितग्राही अंश की राशि जमा की जायेगी अथवा उसके पास राशि न होने की स्थिति में पुनः वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। यह प्रक्रिया द्वितीय हितग्राही द्वारा 30 दिवस में पूर्ण करनी होगी। द्वितीय हितग्राही, हितग्राही अंश की पूर्ति हेतु निम्न विकल्प अनुसार कार्यवाही कर सकता है :-

10.1.1 यदि द्वितीय हितग्राही द्वारा ऋण न लेते हुये नगद राशि जमा की जाती है, तो यह राशि नगरीय निकाय में जमा होगी। नगरीय निकाय, मूल हितग्राही द्वारा लिये गये ऋण के विरुद्ध कुल देय राशि (Total Dues) की पूर्ति मूल हितग्राही को ऋण उपलब्ध कराने वाले बैंक/वित्तीय संस्था को प्रदाय करेगा। बैंक/वित्तीय संस्था की कुल देय राशि (Total Dues) देने के उपरांत राशि बचती है, तो वह मूल हितग्राही को वापस की जायेगी।

10.1.2 यदि द्वितीय हितग्राही किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण लेता है तो, इस संस्था द्वारा राशि नगरीय निकाय को भुगतान की जायेगी। नगरीय निकाय, मूल हितग्राही द्वारा लिये गये ऋण के विरुद्ध कुल देय राशि (Total Dues) की पूर्ति हेतु, मूल हितग्राही को ऋण उपलब्ध कराने वाले बैंक/वित्तीय संस्था को प्रदाय करेगा। बैंक/वित्तीय संस्था की कुल देय राशि (Total Dues) देने के उपरांत राशि बचती है, तो वह मूल हितग्राही को वापस की जायेगी।

10.1.3 यदि द्वितीय हितग्राही उसी बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण लेता है, जिसमें मूल हितग्राही का ऋण था, बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा द्वितीय हितग्राही को (खण्ड- 7 अनुसार) ऋण उपलब्ध कराया जायेगा एवं बैंक/वित्तीय संस्था की कुल देय राशि (Total Dues) देने के उपरांत राशि बचती है, तो वह मूल हितग्राही को वापस की जायेगी।

10.2 नगरीय निकायों में प्रतीक्षा सूची न होने की स्थिति में नगरीय निकाय द्वारा पुनः राज्य शासन के निर्देशानुसार हितग्राही का चयन कर आवंटन की प्रक्रिया कण्डिका 3 के अनुसार करेगा एवं द्वितीय हितग्राही को उपरोक्त प्रावधान अनुसार ऋण उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जायेगी।

10.3 यदि हितग्राही के ऋण अदायगी न करने की स्थिति में प्राधिकारी किसी भी कारण से आवासीय इकाई के पुनः आवंटन में सफल न हो तो ऐसी स्थिति में बैंक द्वारा प्राधिकारी को डिफाल्ट की दी गई सूचना की तिथि से 180 दिन के अंदर संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान प्राधिकारी द्वारा बैंक को किया जायेगा।

11. वित्तीय संस्थाओं की भूमिका :-

वित्तीय संस्थायें नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेन्सी द्वारा चयनित सूची के हितग्राहियों को अपनी संस्थाओं के नियमों के साथ उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये यथासंभव स्थल पर ही नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेन्सी के सहयोग से ऋण उपलब्ध कराने की कार्यवाही करेंगे।

मध्य प्रदेश के सभी शहरों में कुल 4-5 लाख ऐसे आवासों का निर्माण किया जाना है। हितग्राही अंश की पूर्ति समय पर नहीं होने से कार्य पूर्ण होने में विलम्ब होगा एवं योजना का लक्ष्य समय पर प्राप्त नहीं हो सकेगा। हितग्राही की संख्या अधिक होने के कारण बैंक/वित्तीय संस्था सभी स्थलों पर लगने वाले शिविर में अपने प्रतिनिधि भेजे एवं हितग्राही को ऋण उपलब्ध कराये।

बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण प्राप्त करने की समस्त दस्तावेजीकरण औपचारिकता स्थल पर एक दिवस में कर ली जाय तथा हितग्राही को एक बार बैंक आने के लिये स्थल पर ही तिथि सुनिश्चित कर दी जाये। बैंक/वित्तीय संस्थायें 15 दिवस की अवधि में ऋण स्वीकृत कर नगरीय निकाय में उपलब्ध कराया जाय। बैंकों द्वारा निम्न स्थितियों पर ही आवेदनों को निरस्त किया जाय:-

1. हितग्राही द्वारा दी गई जानकारी गलत पायी जाती है।
2. किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्था का डिफाल्टर पाये जाने पर।

12. नगरीय निकायों की भूमिका :-

नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेन्सी द्वारा हितग्राहियों की चयनित सूची, भूमि का मास्टर सर्च दस्तावेज, आवासों की कीमत, अनुमोदित ले-ऑउट प्लान, भवन का यूनिट प्लान, आवंटन आदेश की प्रति, प्रक्रिया शुल्क संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थाओं को उपलब्ध करायी जायेगी। स्थल पर शिविर लगाकर बैंक/वित्तीय संस्थाओं एवं हितग्राहियों के मध्य समन्वय कर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। ऋण राशि का पुनर्भुगतान न होने की स्थिति में कण्डिका 10 के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी।

13. ब्याज अनुदान :-

भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आवास निर्माण/मरम्मत/नये आवास क्रय करने हेतु ऋण राशि की ब्याज दर पर ब्याज अनुदान दिया जाता है। वर्तमान में ऐसी योजना प्रभावशील नहीं है परन्तु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा भविष्य में यदि कोई योजना लागू की जाती तो योजना के प्रावधान अनुसार बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा हितग्राहियों को लाभ दिया जायेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत कोई भी हितग्राही योजना के किसी एक ही घटक का लाभ ले सकता है। चूंकि इन हितग्राहियों को AHP/ISSR घटक अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है, ये हितग्राही योजना के ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी (CLSS) अंतर्गत लाभ नहीं ले सकते। इन हितग्राहियों के ऋण पर बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा प्रचलित ब्याज दर पर ऋण दिया जावेगा।

14. आय का सत्यापन :-

आय का प्रमाण पत्र हितग्राही द्वारा दिया जाय जिसमें हितग्राही अपने व्यवसाय के साथ कम से कम होने वाली आय राशि सत्यापित करें।

15. त्रिपक्षीय अनुबंध :-

वित्तीय संस्थाओं के नियमों एवं उपरोक्त दिशानिर्देशों के परिप्रेक्ष्य में Model Tripartite Agreement तैयार किया गया है। जिसे बैंक/वित्तीय संस्थाओं, नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेन्सी तथा हितग्राहियों के मध्य किया जायेगा।

16. गृह ऋण वितरण के चरण :-

हितग्राही ऋण का Disbursement चार चरणों में किया जावेगा। यह चार चरण निर्माण कार्य के आधार पर निम्नानुसार हैं :-

चरण क्र.	निर्माण कार्य की स्थिति	ऋण राशि का
1	Plinth स्तर पर	10%
2	Slab स्तर पर	30%
3	ब्रिक वर्क एवं प्लास्टर स्तर पूर्ण होने पर	30%
4	भवन पूर्ण होने पर	30%

चरण पूर्ण होने पर नगर निगम/नगर पालिका द्वारा हितग्राही को डिमांड नोट भेजना होगा जिसकी प्रति सम्बंधित बैंक/वित्तीय संस्था को दी जावेगी, बैंक द्वारा 10 दिन में Disbursement की कार्यवाही पूर्ण करना होगी।

17. Moratorium की अवधि :-

AHP/ISSR घटक के हितग्राहियों को आवास का आवंटन प्री-अलोटमेंट के द्वारा किया जावेगा, अतः हितग्राही को प्रथम Disbursement की दिनांक से 18 माह तक की मोरेटोरियम अवधि देना होगा। 18 माह पश्चात/आवास निर्माण पूर्ण होने पर हितग्राही की मासिक किश्त (EMI) प्रारंभ होगी। हितग्राही चाहे तो प्रथम चरण के Disbursement के साथ ही अपनी ऋण की किश्त देना प्रारंभ कर सकता है, बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा इस हेतु हितग्राही की राय लेना अनिवार्य होगा। मोरेटोरियम अवधि में हितग्राही द्वारा ब्याज का भुगतान सम्बंधित बैंक/वित्तीय संस्था के नियमानुसार किया जायेगा।


17. अग्रिम पुनर्भुगतान (Prepayment of Loan) :-

हितग्राही चाहे तो स्वयं के स्रोत से ऋण की राशि का अग्रिम पुनर्भुगतान कर सकता है उक्त पुनर्भुगतान की स्थिति में बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा हितग्राही से कोई भी अग्रिम पुनर्भुगतान शुल्क चार्ज नहीं करेंगे।

18. विवाद समाधान/मध्यस्थता खंड (Dispute resolution/Arbitration) :-

त्रिपक्षीय अनुबंध में किसी भी पक्षकार का अन्य किसी भी पक्षकार से कोई विवाद/समस्या उत्पन्न होती है, तो सभी पक्षकार मिलकर समस्या का समाधान करेंगे किन्तु समस्या समाधान नहीं होने की स्थिति में आयुक्त, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल द्वारा नामांकित अधिकारी की मध्यस्थता में समस्या का समाधान करेंगे।




(विवेक अग्रवाल),
आयुक्त, सहसचिव
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

त्रिपक्षीय अनुबंध

1. यह अनुबंध आज दिनांक प्रथम पक्ष श्री.....आ. श्री निवासी.....जिन्हें आगे हितग्राही कहा गया है।

एवं

2. द्वितीय पक्ष नगर पालिक निगम/पैरास्टेटल एजेन्सी द्वारा जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया जब तक की संदर्भ से अन्यथा प्रतिकूल न हो इस शब्द में द्वितीय पक्ष के उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक एवं एसायनीज भी सम्मिलित है।

एवं

3.बैंक/वित्तीय संस्था जो कि बैंक एक्ट जिसका की पंजीयत कार्यालय.....स्थित है, और जिसका की प्रतिनिधित्व इसकी शाखाओं में से एक जो कि(मध्य प्रदेश) पर स्थित है, जिसे आगे की बैंक/वित्तीय संस्था के नाम से संबोधित किया गया है, इस शब्द में तृतीय पक्ष के जब तक कि संदर्भ से अन्यथा प्रतिकूल न हो उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक एवं एसायनीज भी सम्मिलित है।

4. हितग्राही को प्राधिकारी की प्रधानमंत्री आवास योजना हाउसिंग फॉर ऑल- 2022 योजना के अर्न्तगत **AHP/ISSR** घटक में स्थित निर्मित आवासीय इकाई/भवन क्रं. का आवंटन पत्र क्रं. दि. के द्वारा आवंटित किया गया है जिसका की हितग्राही द्वारा प्राधिकारी को एक मुस्त/किस्तों में जैसा की आवंटन की शर्तों में प्रावधानिक किया गया है, का भुगतान किया जाना है।

5. हितग्राही ने प्राधिकारी की उक्त योजना में आवासीय इकाई/भवन को क्रय करने हेतु राशि रु. स्वयं द्वारा एवं शेष राशि हाउसिंग ऋण द्वारा बैंक/वित्तीय संस्था से आवेदन किया गया है। इसलिए बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा हितग्राही को राशि रु.(रु.) केवल का हाउसिंग ऋण प्रदान करना स्वीकार किया है हितग्राही वित्तीय संस्था/बैंक से स्वीकृत उक्त हाउसिंग ऋण बैंक/वित्तीय संस्था में प्रचलित शर्तों के अधीन लेने में अपनी सहमति देता है।

6. शर्तों के अनुसार हितग्राही/प्राधिकारी को उपरोक्त आवासीय इकाई को बंधक रखने की सहमति वित्तीय संस्था/बैंक को देता है। ऋण ली गई राशि बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेन्सी में जमा की जायेगी तथा ऋण की अदायगी हितग्राही द्वारा उक्त बैंक/वित्तीय संस्थाओं को किया जायेगा।

7. हितग्राही इस बात की सहमती देता है कि, प्रत्येक स्थिति में बैंक/वित्तीय संस्था की और से प्राधिकारी को किये गये ऋण भुगतान, यह माना जावेगा मानो सीधे हितग्राही को किया गया हो यदि बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा अथवा हितग्राही द्वारा प्राधिकारी को भुगतान में किसी भी प्रकार का विलम्ब होता है तो दोनो ही स्थितियों में हितग्राही की और से त्रुटि मानी जायेगी एवं हितग्राही प्राधिकारी को इस प्रकार विलम्बित भुगतान के लिये शास्ति यदि कोई हो तो भुगतान करेगा।

8. तृतीय पक्ष बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा ऋण स्वीकृत आदेश में दर्शित किस्तों का भुगतान लगातार तीन किस्तों से अधिक का विलम्ब होता है, तो प्राधिकारी द्वारा आवासीय इकाई का आवंटन निरस्त एवं आवासीय इकाई रिक्त कराकर पुनः आवंटन संचालनालय के सामान्य दिशानिर्देश क्रमांक/यां.प्र./07/8712... दिनांक 04/07/2017 के अनुसार किया जायेगा।
9. प्राधिकारी हितग्राही का पृथक लेखा संधारण करेगा और बैंक/वित्तीय संस्थान से इसे प्राप्त होने वाली राशि का समायोजन उपरोक्त हितग्राही को आवंटित भवन/आवासीय इकाई की कीमत के मद में करेगा।
10. प्राधिकारी यह वचन देता है कि हितग्राही अंश के सम्पूर्ण भुगतान के उपरान्त भवन/आवासीय इकाई की लीजडीड निष्पादित करेगा, हितग्राही भी यह सुनिश्चित करेगा कि निष्पादित लीजडीड को पंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध कराकर तुरन्त पश्चात वह उक्त भवन/आवासीय इकाई की लीजडीड/पट्टानामा बैंक/वित्तीय संस्था में जमा करेगा। तदुपरान्त हितग्राही को भवन/आवासीय इकाई का कब्जा दिया जायेगा।
11. बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा स्वीकृत ऋण के लिये भवन/आवासीय इकाई उक्त ऋण की बंधक का भाग होगा।
12. प्राधिकारी इसके लिये सहमत है कि किसी भी स्थिति में हितग्राही को रिफण्ड द्वारा अथवा अन्य किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार से कोई राशि का भुगतान बैंक/वित्तीय संस्था की लिखित सहमति के बिना नहीं करेगा।
13. भवन/आवासीय इकाई का पट्टा अहस्तांतरणीय है। हितग्राही द्वारा उक्त भवन/आवासीय इकाई को दानपत्र/विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय किया जाना प्रतिबंधित रहेगा एवं ना ही कोई ऐसा कार्य करेगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उक्त भवन के टाईटल को प्रभावित करता हो।
14. यदि हितग्राही की ऋण अवधि में मृत्यु हो जाती है, तो ऋण अदायगी की जिम्मेदारी उनके वारिस जिनके नाम पर प्राधिकारी के अभिलेखों में नामान्तरण/नाम संशोधन किया जायेगा, उनकी होगी।
15. हितग्राही द्वारा ऋण राशि की लगातार तीन किस्तें अदायगी नहीं की जाती एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण अदायगी के संपूर्ण प्रयास करने के बाद यह सुनिश्चित हो गया हो कि हितग्राही ऋण की राशि अदा नहीं करेगा उस स्थिति में वित्तीय संस्थायें नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेन्सी को सूचना देगा, दी गई सूचना अनुसार नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेन्सी द्वारा ऋण की राशि वापस प्राप्त करने के लिये निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी।

15.1 संबंधित नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेन्सी द्वारा डिफाल्टर हितग्राही का आवास आवंटन निरस्त कर उस आवास को रिक्त कराया जायेगा। रिक्त होने के उपरान्त नगरीय निकाय/पैरास्टेटल एजेन्सी द्वारा संधारित प्रतीक्षा सूची में से अग्रतक्रम के आधार पर आवास का आवंटन किया जायेगा। यह प्रक्रिया नगरीय निकायों द्वारा 45 दिवस में पूर्ण की जायेगी। द्वितीय हितग्राही द्वारा स्वयं हितग्राही अंश की राशि जमा की जायेगी अथवा उसके पास राशि न होने की स्थिति में पुनः वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। यह प्रक्रिया द्वितीय हितग्राही द्वारा 30 दिवस में पूर्ण करनी होगी। द्वितीय हितग्राही, हितग्राही अंश की पूर्ति हेतु निम्न विकल्प अनुसार कार्यवाही कर सकता है :-



15.1.1 यदि द्वितीय हितग्राही द्वारा ऋण न लेते हुये नगद राशि जमा की जाती है, तो यह राशि नगरीय निकाय में जमा होगी। नगरीय निकाय, मूल हितग्राही द्वारा लिये गये ऋण के विरुद्ध कुल देय राशि (Total Dues) की पूर्ति मूल हितग्राही को ऋण उपलब्ध कराने वाले बैंक/वित्तीय संस्था को प्रदाय करेगा। बैंक/वित्तीय संस्था की कुल देय राशि (Total Dues) देने के उपरांत राशि बचती है, तो वह मूल हितग्राही को वापस की जायेगी।

15.1.2 यदि द्वितीय हितग्राही किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण लेता है तो, इस संस्था द्वारा राशि नगरीय निकाय को भुगतान की जायेगी। नगरीय निकाय, मूल हितग्राही द्वारा लिये गये ऋण के विरुद्ध कुल देय राशि (Total Dues) की पूर्ति हेतु, मूल हितग्राही को ऋण उपलब्ध कराने वाले बैंक/वित्तीय संस्था को प्रदाय करेगा। बैंक/वित्तीय संस्था की कुल देय राशि (Total Dues) देने के उपरांत राशि बचती है, तो वह मूल हितग्राही को वापस की जायेगी।

15.1.3 यदि द्वितीय हितग्राही उसी बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण लेता है, जिसमें मूल हितग्राही का ऋण था, बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा द्वितीय हितग्राही को (खण्ड- 8 अनुसार) ऋण उपलब्ध कराया जायेगा एवं बैंक/वित्तीय संस्था की कुल देय राशि (Total Dues) देने के उपरांत राशि बचती है, तो वह मूल हितग्राही को वापस की जायेगी।

15.2 नगरीय निकायों में प्रतीक्षा सूची न होने की स्थिति में नगरीय निकाय द्वारा पुनः राज्य शासन के निर्देशानुसार हितग्राही का चयन कर आवंटन की प्रक्रिया कण्डिका 4 के अनुसार करेगा एवं द्वितीय हितग्राही को उपरोक्त प्रावधान अनुसार ऋण उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जायेगी।

“परन्तु यदि हितग्राही के ऋण अदायगी न करने की स्थिति में प्राधिकारी किसी भी कारण से आवासीय इकाई के पुर्न आवंटन में सफल न हो तो ऐसी स्थिति में बैंक द्वारा प्राधिकारी को डिफाल्ट की दी गई सूचना की तिथि से 180 दिन के अंदर संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान प्राधिकारी द्वारा बैंक को किया जायेगा”।

16. हितग्राही स्वयं के स्रोत से ऋण की राशि का अग्रिम पुनर्भुगतान कर सकता है। उक्त पुनर्भुगतान की स्थिति में बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा हितग्राही से कोई भी अग्रिम पुनर्भुगतान शुल्क चार्ज नहीं किया जायेगा।
17. हितग्राही ऋण का Disbursement अधिकतम चार चरणों में किया जावेगा। यह चार चरण निर्माण कार्य के आधार पर निम्नानुसार हैं :-

चरण क्र.	निर्माण कार्य की स्थिति	ऋण राशि का
1	Plinth स्तर पर	10%
2	Slab स्तर पर	30%
3	ब्रिक वर्क एवं प्लास्टर स्तर पूर्ण होने पर	30%
4	भवन पूर्ण होने पर	30%

प्रति चरण पूर्ण होने पर नगरीय निकाय द्वारा हितग्राही को डिमांड नोट भेजना होगा जिसकी प्रति सम्बंधित बैंक/वित्तीय संस्था को दी जावेगी, बैंक द्वारा 10 दिन में Disbursement की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी।

17. बैंक द्वारा उक्त ऋण पर हितग्राही को प्रथम Disbursement की दिनांक से माह तक मोरेटोरियम अवधि प्रदान की जाती है। हितग्राही की किश्त (EMI) दिनांक से प्रारंभ होगी। मोरेटोरियम की अवधि में हितग्राही द्वारा बैंक के नियमानुसार ब्याज का भुगतान किया जावेगा।
18. त्रिपक्षीय अनुबंध में किसी भी पक्षकार का अन्य किसी भी पक्षकार से कोई विवाद/समस्या उत्पन्न होती है तो सभी पक्षकार मिलकर समस्या का समाधान करेंगे किन्तु समस्या समाधान नहीं होने की स्थिति में संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल मध्य प्रदेश की मध्यस्थता में समस्या का समाधान करेंगे।

प्रथम पक्ष



द्वितीय पक्ष

तृतीय पक्ष

Annexure-D
Land
Allotment
Order for
Projects under
PMAY

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 6-120/2015/सात-नजूल

भोपाल,दिनांक 17/12/2015

प्रति,

1. समस्त संभागीय आयुक्त,
मध्य प्रदेश
2. समस्त कलेक्टर
मध्य प्रदेश

विषय:- प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास- 2022 (शहरी) के क्रियान्वयन के लिए शासकीय नजूल भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाना।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्रियान्वयन हेतु राजस्व भूमि राशि रू0 1.00 भू-भाटक पर निर्माण एजेंसी को कलेक्टर द्वारा समय-सीमा 90 दिन में आवंटित करने एवं मलिन बस्ती व्यवस्थित करने पर जो भूमि अतिशेष के रूप में शेष होगी, यह भूमि नगरीय निकायों को अन्य योजनाओं हेतु अपने अधिग्रहण में लेने की स्वीकृति दी जाती है।

2. यह निर्देश राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड -चार क्रमांक- 1 का भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(सुमन शिवकवार)

अवर सचिव


मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

भोपाल,दिनांक 17/12/2015

पृ0क्रमांक एफ 6-120/2015/सात-नजूल

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन,नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख राजस्व आयुक्त, की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त,नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मध्य प्रदेश भोपाल।


अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग